

- |  |   |
|--|---|
| <p>2. Consideration and passing of the following Bills, as reported by Standing Committee, after they are passed by Lok Sabha:</p> <p>(a) The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023</p> <p>(b) The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023</p> <p>(c) The Bharatiya Sakshya Adhinyam, 2023</p> | <p><b>Twelve hours</b><br/><b>(To be</b><br/><b>be discussed</b><br/><b>together)</b></p> |
| <p>3. Consideration and passing of the Central University (Amendment) Bill, 2023, after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha.</p>  | <p><b>Two hours</b></p>   |
| <p>4. Consideration and return of the Appropriation Bills relating to following Demands, after they are passed by Lok Sabha:</p> <p>(a) First Batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2023-24; and</p> <p>(b) Demands for Excess Grants 2020-21</p>                     | <p><b>Six hours (To</b><br/><b>be discussed</b><br/><b>together)</b></p>                  |

---

**GOVERNMENT BILL - Contd.**

**The Post Office Bill, 2023**

**श्री शक्तिसिंह गोहिल** (गुजरात) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे पास कितना समय है?

**श्री उपसभापति** : आपके पास 15 मिनट का समय है।

**श्री शक्तिसिंह गोहिल**: माननीय उपसभापति महोदय, जब यह बिल लाया गया तो मूवर ऑफ दि बिल, मंत्री जी ने यहां इतिहास की कुछ बातें रखी हैं। मैं यह जरूर कहूंगा कि डाक सेवा उत्कृष्ट, प्रकृष्ट बनी, उसका इतिहास हजारों साल का है। एक वक्त था, जब मैसेज देने के लिए आवाज़ के जरिए, झंडे के जरिए, पंछियों के जरिए तरह-तरह के तरीके अपनाए जाते थे और धीरे-धीरे उसमें सुधार आता गया। हमारे देश में भी अलग-अलग तरीके से संदेशों का व्यवहार होता था। सर, 150 साल पहले अंग्रेजों ने इनको एकरूप में पिरोने की कोशिश की और भारतीय डाक को एक नया रंग और रूप मिला। अंग्रेजों ने यह जो किया, वह अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए या ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उनका अपना इंटरेस्ट था, क्योंकि उनको इस देश में शासन करना था, उनका अपना एक हित था और व्यापारिक इंटरेस्ट भी था, तो इसको लेकर डाक सेवाएं शुरू की गईं। वॉरेन हेस्टिंग्स आए और उन्होंने 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी मिल के नाम से इसको एकरूप में बनाया। आगे चलते गए और इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, लॉर्ड डलहौजी ने

1854 में introduce करके हमारी डाक सेवाओं को systematic way में बनाया। आजादी के बाद हमारे उस वक्त के सूझबूझ वाले नेताओं ने आवाम की चिंता करते हुए यह सोचा कि कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग्स होनी चाहिए। पीएसयूज होने चाहिए और पीएसयूज profit-oriented नहीं हो सकते हैं, सिर्फ मुनाफा कमाना पीएसयूज का काम नहीं है। पीएसयूज को profit-oriented नहीं, बल्कि service-oriented बनकर काम करना होगा। अगर किसी एक छोटे से गांव में, एक झोंपड़े में किसी को डाक पहुंचानी है, तो वह वहां पहुंचनी चाहिए। यह सोच थी और इसी सोच के चलते आजादी के बाद जो भी सरकारें बनीं, उनकी एक दीर्घ दृष्टि थी कि इस डिपार्टमेंट को, इस पोस्टल सर्विसेज को इतना बेहतरीन बनाया कि उप सभापति महोदय, आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में यदि सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन डाक सेवा कहीं पर है, तो वह हमारे देश में है। कुछ फर्जी डिग्री वाले लोग, WhatsApp university वाले कहते हैं कि 70 साल में इस देश ने क्या किया! मैं कहता हूं कि देश ने यह करके दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी, बेहतरीन और सबसे अच्छी डाक सेवा हमारे देश में बनी। वह विज्ञान था। आज आप पीएसयू को मार दोगे और प्राइवेट सेक्टर को एन्करेज करोगे! कुरियर वाला आपको टाई पहनकर कुरियर दे जाएगा, वह दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में दे जाएगा, लेकिन क्या वह कुरियर वाला कच्छ के, अबडासा के एक छोटे गांव में डाक देने जाएगा? वह नहीं जाएगा। उपसभापति महोदय, इसीलिए मैं आपके ज़रिए सरकार को कहना चाहता हूं कि हमें इस मंशा से निकलना होगा कि profit-oriented private sector ये काम करेंगे और पीएसयूज की जरूरत नहीं है। आज गांव में भी अगर किसी के ऊपर विश्वास है, तो Indian Postal Services पर विश्वास है। वह आज भी कहता है कि डाकिया डाक लाया। डाकिए की डाक पर आज गांव के गरीब का भरोसा है। अगर हम उसको मारने की कोशिश करेंगे, तो उससे अवाम का भला नहीं हो सकता है। मैं इस बिल के कुछ प्रावधानों के ऊपर जाने से पहले एक-दो बातें रखना चाहता हूं।

माननीय उपसभापति महोदय, यह सरकार पीएसयू के ज़रिए मिलने वाली सर्विस पर कैंची क्यों चलाती है, यह मुझे समझ में नहीं आता है। पोस्टल सर्विस के अंदर एक UPC (Under Postal Certificate) हुआ करता था और UPC का आधार अदालतें भी मानती थीं कि यह UPC से गई हुई डाक है, means it is certified और यह सामने वाले को मिली है। Registered Post was expensive. As compared to the Registered Post, the UPC was less expensive. So, the people were able to use the UPC. अब आपने क्या कर दिया - UPC खत्म कर दिया। आज अगर पोस्ट ऑफिस में जाओ और कहो कि मुझे एक खत UPC के ज़रिए हमारे मंत्री जी को भेजना है, तो वे कहेंगे कि No more UPC service is available now. क्या हम यह करना चाहते हैं? सिर्फ नाम बदलने से, नया कानून बदलने से कुछ नहीं बदलता है। हमें अपनी मंशा लोगों की सेवा करने के लिए बदलनी होगी। आम आदमी, आम नागरिक को फायदा कैसे पहुंचे, इसकी चिंता हमें करनी होगी, तभी सही मायने में मैं मानूंगा कि हम जो काम कर रहे हैं, वे ठीक हो रहे हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, The Department of Posts, also known as the India Post, has been the backbone of the country's communication network and it has also played a crucial role in the country's social and economic development. इसने बहुत crucial role प्ले किया है। कोरोना काल आया, मैं समझ सकता हूं कि सभी को लॉसेज हुए और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर कहीं हुआ होगा, तो वह इस डिपार्टमेंट के ऊपर हुआ। आप

दीजिए उनको सब्सिडी, आप दीजिए उनको पैसा, आप इनको मजबूत बनाइए। मैं आपके जरिए से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि पोस्टल डिपार्टमेंट में हमारा स्पोर्ट्स का कोटा रहता है। इस देश का नाम रोशन करने वाले हमारे रमतवीरों को इस डिपार्टमेंट में नौकरियां मिलती थीं। मुझे खुशी होगी कि जब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे तो बताएंगे कि कितने वक्त से आपने उस स्पोर्ट्स कोटा में हमारे उन नौजवान लड़के-लड़कियों को जॉब पर नहीं लिया है, उन्हें क्यों नहीं लिया है? आप जब किसी को जॉब में लेते हो, तो थोड़ी निगाह उधर भी रखिए कि आपने एक नेशनल प्लेयर को लिया है, जो टेबल टेनिस की है और उसको नौकरी दी है। यदि आपने उसकी पोस्टिंग ऐसी जगह पर की है, जहां पर वह टेबल टेनिस के बच्चों को प्रशिक्षित नहीं कर सकती या खुद की भी प्रैक्टिस नहीं कर सकती है, तो उसका क्या फायदा होगा। आप उसको उस जगह पर रखिए जहां पर टेबल टेनिस के लिए interested बच्चे हों। इस तरह से इस डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है। मैं इंडिविजुअल केसेज़ को यहां पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। अगर मंत्री जी कहेंगे, तो मैं उनको इसकी इन्फॉर्मेशन जरूर दे दूंगा।

Next point is exclusive privileges of the Central Government. जो नया कानून लेकर आए हैं। The Act provides that wherever the Central Government establishes post offices, it will have the exclusive privilege of conveying letters by post, as well as incidental services such as receiving, collecting, sending, and delivering letters. The Bill does not provide for such privileges. The Bill also states that the post office will have the exclusive privilege of issuing the postage stamps. माननीय उपसभापति जी, मैं आपके जरिए एक और प्रावधान पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप इसमें जो प्रावधान कर रहे हो, वह इस नए कानून की वजह से कर रहे हो।

Next point is services to be prescribed. The Act specifies the services provided by the post offices include delivery of postal articles including letters, postcards, parcels and money orders. The Bill provides that post office will provide services prescribed by the Central Government. आप क्यों नहीं क्लीयर करते हो कि ये आप इनसे करवाना चाहते हो! कानून बनाना संसद का अधिकार है। उस अधिकार के ऊपर कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सरकार कोई भी ऐसा ग्रे एरिया नहीं रखे कि कानून बन गया है, तो बाद में जो ठीक लगेगा, वह सर्विसेज़ इनसे लूंगा। कल कोई पॉलिटिकल पार्टी सोचेगी कि ये पॉलिटिकल पार्टी के पैम्फलेट्स भी इनसे बंटवाने हैं और इसके लिए मुझे यह रूट करना पड़ेगा, तो मैं यह रूट करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो भी सर्विसेज़ लेना चाहते हैं, come with a clear idea, come with a clear proposal. We are here to discuss this and then we will either pass or reject the Bill but we should have an opportunity to express ourselves. आप इसके ग्रे एरिया पर ध्यान दीजिए। मैं देखता हूँ कि बार-बार ऐसे बिल्स आते हैं और हम उन्हें पास तो करते हैं, परंतु उनमें क्लैरिटी नहीं होती है और बाद में notification के जरिए, कुछ amendments के जरिए सरकार उसमें amendment करती रहती है।

Now, another provision in this Bill is relating to power to intercept shipments. Right to Privacy is the fundamental right. मैं जानता हूँ कि सिक्योरिटी जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ, लोगों की सुरक्षा के लिए आप ऐसा करो, But in the name of security, अभी-अभी

हमने देखा कि वर्ल्ड में जिस एक कम्पनी का नाम है, जिसका software कोई intercept नहीं कर सकता है, जो हमारे जैसे लोगों को मिला है, मुझे भी मिला है, एमपीज़ को मिला है, State-sponsored hackers are trying to hack your mobile. हम किस दिशा में जा रहे हैं? अगर आप Right to Privacy को कम्प्रोमाइज़ करवाते हो in the name of security, तो आप पावर्स कैसे देते हो? I will take you to those provisions. I will read what will happen after this Bill is passed. Powers to intercept shipments: The Act allows the interception of a shipment being transmitted through the post on certain grounds. Now just look what the grounds are. "An interception may be carried out on the occurrence of any public emergency." Is there any clarity on what is public emergency? When you have the Statement of Objects and Reasons, I fail to understand why the Government does not clarify 'public emergency' in the Statement of Objects and Reasons. Thereafter, it says, "or in the interest of public safety or tranquility." आपने एक wide range दे दी। उसके बाद आप आगे कहते हैं, "Such interceptions may be carried out by the Central Government, State Governments, or any officer specially authorised by them." Why don't you clarify? आप किस लेवल के ऑफिसर को स्पैसिफाई करेंगे? क्या आप एक छोटे लेवल के अधिकारी को स्पैसिफाई करना चाहते हैं या किसी जिम्मेवार आदमी को स्पैसिफाई करना चाहते हैं? It further states, "An intercepted shipment can be detained or disposed of by the officer in charge. The officer also has powers to open, detain, or destroy the shipment." आपके ऐसे प्रावधान से डाकिया के ऊपर से लोगों का भरोसा चला जाएगा। आज एक पचास पैसे के पोस्ट कार्ड के ऊपर भी लोगों को भरोसा होता है कि मैंने लिखा है, तो यह जरूर पहुंचेगा। यह प्रावधान करके आप क्या करने जा रहे हैं?

महोदय, हम बात करते हैं डेवलपड कंट्री की, हम बात करते हैं विश्व गुरु की, लेकिन हम विष गुरु, ज़हर की बात कर रहे हैं - यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। आप इस बात को गौर से देखिए। हमारा मंत्री जी से अनुरोध है कि आप ऐसे प्रावधानों में क्लैरिटी लेकर आइए कि इसमें कौन, कहाँ, किसको और कैसे करेगा। मैंने पहले ही कहा है कि हम फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवैसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। मैं आखिर में एक छोटी-सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि जब आप छोटी जगह पर नौकरियाँ देते हैं ...(व्यवधान).. मुझे एक मिनट दे दीजिए। अगर आप वहाँ पर पोस्टल डिपार्टमेंट में किसी को गाँव में पोस्टमैन की नौकरी देते हैं, तो आप वहाँ के लोकल यूथ को प्राथमिकता दीजिए। उसका उसी गाँव का डोमिसाइल है, वह वहीं का रहने वाला है, इसलिए आप उसे प्राथमिकता दीजिए। कोई व्यक्ति शहर से नौकरी ले लेता है, फिर कहीं ओर ट्रांसफर करवाने की कोशिश करता है। वह गाँव में टिकता नहीं है और वह छोटा गाँव परेशान होता है, इसलिए वह उसी गाँव का व्यक्ति हो या अगर विद इन फाइव किलोमीटर्स या टेन किलोमीटर नहीं मिलता है, तो आप वह स्टेज बताइए और वहीं के लोकल को रखिए। वह जहाँ पर रहेगा, वहीं काम करेगा और ईमानदारी से काम करेगा। मैं इन्हीं लफ़्ज़ों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपसभापति :** डा .लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी, आपके पास बारह मिनट हैं।

**डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी** (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे 'दि पोस्ट ऑफिस बिल, 2023' पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। यह सरकार जो 'दि पोस्ट ऑफिस बिल, 2023' लाई है, वह गरीबों के लिए और सेवा, सुशासन के सिद्धांत को ध्यान में रखकर लाई है। पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज़ जनता के प्रति समर्पित सेवाएं हों, इस दृष्टि से यह 'दि पोस्ट ऑफिस बिल, 2023' लाया गया है। 'सबका साथ, सबका विकास' - यह विषय भी इस पोस्ट ऑफिस बिल के केंद्र में है। महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों, जिसमें सभी जाति, वर्गों के लोग आते हैं, इस व्यावसायिक वर्ग में उन सभी लोगों के लिए यह पोस्ट ऑफिस बिल लाभकारी होगा, लाभ देगा - ऐसा मेरा मत है। मैं इस पर यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने इस 'दि पोस्ट ऑफिस बिल, 2023' के माध्यम से - क्रमशः 2014 के बाद पोस्ट ऑफिस सर्विसेज़ पर जो भरोसा बढ़ रहा था, उस भरोसे को पुष्ट करने का काम किया है। सरकार ने इसे बैंक में परिवर्तित किया है। सेविंग बैंक और पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक के रूप में कंवर्जन भी इस सरकार के कार्यकाल में किया गया है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से गरीब कल्याण, महिला कल्याण और किसान कल्याण योजनाओं का लाभ भी जनता तक पहुँचाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। मैं एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार के द्वारा 700 पोस्ट ऑफिसेज़ बंद किए गए थे, जबकि इस सरकार ने अपने कार्यकाल में अभी तक 5 हजार से ऊपर पोस्ट ऑफिसेज़ खोले हैं। यही साबित करता है कि यह सरकार जनता के प्रति समर्पित सरकार है, यही साबित करता है कि पोस्ट ऑफिस सर्विसेज़ को गाँव, गरीब और किसान तक पहुँचाने के लिए सरकार समर्पित है। अब कुछ 5 हजार पोस्ट ऑफिसेज़ और खुलने जा रहे हैं। कहाँ 700 पोस्ट ऑफिसेज़ बंद करने वाली सरकार और कहाँ 10 हजार पोस्ट ऑफिसेज़ खोलने वाली सरकार! रोजगार का सवाल बताया गया है। अगर ये नए डाकखाने खुलने हैं, तो ये बिना मैनपावर के तो नहीं खुलेंगे! 5 हजार डाकखाने खोलने पर एक लाख लोगों को नौकरी मिली है और जब ये 5,700 डाकखाने खुलेंगे, तो रोजगार का सृजन स्वाभाविक होगा, हमें यह तथ्य भी समझ में आना चाहिए।

मान्यवर, डाक निर्यात केन्द्र के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। व्यक्ति अपने निर्यात करने वाली सामग्री को लेकर डाकखाने में जाता है, डाकखाना उसको उसके लिए बॉक्स प्रोवाइड करता है, वह बॉक्स में उसका सामान रख कर टैपिंग करता है, पता लगाता है और उसके निर्यात वाले सामान को उस स्थान तक पहुँचाने का काम करता है। हिन्दुस्तान में कभी इसकी कल्पना भी नहीं थी कि डाकखाना भी निर्यात केन्द्र के रूप में काम करेगा। यह ठीक है कि 7-8 साल पहले पासपोर्ट सेवा केन्द्र चालू हुए थे, लेकिन आज 1.5 करोड़ लोगों को पासपोर्ट की सुविधा मिली है, क्योंकि डाकखाना हर जिले में है। पहले पासपोर्ट सेंटर के लिए हमें दूर जाना पड़ता था। मेरठ के लोगों को गाजियाबाद जाना पड़ता था, दूसरे जिलों में जाना पड़ता था, लेकिन आज मेरठ के पोस्ट ऑफिस में यह सुविधा मिली है। उस सुविधा को और मजबूत करके 1.5 करोड़ लोगों को पासपोर्ट जारी करने का काम किया गया है।

मान्यवर, यह टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग की दिशा में ले जाने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिजिटल पेमेंट योजना भी इसी सरकार के द्वारा चालू की गई है। श्रमिकों के बारे में, जिसकी चिंता बहुत कम लोग किया करते थे, उन श्रमिकों का बीमा भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है और लगभग 1.5 लाख श्रमिकों का बीमा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा चुका है। अब इसके सफल होने के बाद सरकार का इसका विस्तार करने का संकल्प है।

मान्यवर, मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूँ। इस नए बिल में डाक घर के आधुनिकीकरण और विकास को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन मैं पिछली सरकार के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ। पिछली सरकार भी डाक के संबंध में विधेयक लाई थी। 1986 में विधेयक आया था, जिसको राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए भेजा गया और जुलाई, 1987 में अपने पद पर रहते हुए भी वह सरकार उस बिल को सहमति नहीं दिला पाई थी और न उसे संसद को वापस किया गया। उसके बाद जब अगले माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी आए, तो जनवरी, 1990 में उन्होंने पुनर्विचार के लिए उसे संसद को लौटाया और 2002 में वह बिल वापस हो गया। वर्ष 2002 में भी पोस्ट ऑफिस की सेवाओं में सुधार के लिए एक बिल लाकर इस प्रकार का एक प्रयास हुआ, लेकिन उसे भी स्टैंडिंग कमिटी को भेज दिया गया और स्टैंडिंग कमिटी के बाद वह बिल भी लैप्स हो गया। 2006 और 2011 में सदन के विचार के लिए दो ड्राफ्ट बिल्स जारी किए गए, लेकिन वे ड्राफ्ट बिल्स भी स्टैंडिंग कमिटी में पहुँच गए और उसके बाद सदन में वे बिल्स कार्य रूप में परिणत नहीं हुए। 2023 का यह बिल सरकार अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा लाई है और यह पास भी होगा। अगर हम पिछले इतिहास को देखते हुए कहें, तो यह इस सरकार की मजबूत संकल्प शक्ति है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जब इस बिल को पास कराएगी, तो ये पोस्ट ऑफिस सेवाएँ आम जन का भाग बनेंगी, मुझे ऐसा कहना है। इस बिल के पास होने के बाद सारी चीजें सरकार पर निर्भर नहीं होंगी। महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा और उसको प्रभावी बनाया जाएगा। महानिदेशक के जो निर्णय होंगे, उस निर्णय को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। डाक सेवा के महानिदेशक को जब भारतीय डाक प्रमुख नियुक्त किया जाएगा, तो सेवाओं के शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति के मामले में नियम बनाने की शक्ति भी उसमें निहित होगी। महानिदेशक डाक सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक किसी भी गतिविधि का नियम बना सकेंगे तथा डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति एवं बिक्री के नियम भी बनाए जा सकेंगे। मार्केट के हिसाब से पोस्टल चार्ज और दरें तय की जा सकेंगी, डाकघर को डाक टिकट जारी करने का भी अधिकार हो जाएगा, आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और ड्रोन के जरिए पार्सल और लेटर भी पहुँचाए जाएँगे। हमने अपने बचपन में सुना था कि किसी युग में कबूतर के माध्यम से चिट्ठी भेजी जाती थी, आज इस बिल के माध्यम से सरकार का संकल्प ड्रोन के जरिए पत्र भेजने का है। लेकिन, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि वर्तमान आतंकवाद के युग में कानून-व्यवस्था और निजता के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो गई है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि इंटरसेप्शन करने का अधिकार सुरक्षित तरीके से हो, लेकिन सरकार इस बात की सावधानी रखेगी, इसका मुझे विश्वास भी है।

केन्द्र सरकार वस्तुओं को पहुँचाने हेतु पते की पहचान और पोस्टल कोड उपयोग करने के लिए मानक निर्धारित कर सकती है। यह आइटम एड्रेसिंग मानकों और पते की पहचान और पोस्टल कोड के उपयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार को दिशानिर्देश प्रदान करता है। किसी परिसर की सटीक पहचान के लिए भौगोलिक निर्देशांक के आधार पर भौतिक पते को डिजिटल कोड से बदल देगा, जबकि डिजिटल एड्रेसिंग एक दूरदर्शी अवधारणा है। यह छँटाई की प्रक्रिया

को सरल बनाएगा और मेल तथा पार्सल डिलीवरी की सटीकता भी बढ़ाएगा और उसमें शीघ्रता भी लाएगा।

इस बिल की सबसे बड़ी बात यह है कि यह विधेयक नागरिक-केन्द्रित सेवाओं को विकसित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए लाया गया है। मोबाइल और फोन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में यह विधेयक और भी अधिक प्रासंगिक रूप में है। यह जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा में भी योगदान देगा, वहीं भू-स्थानिक कोड का कार्यान्वयन सफल होने पर सरकार ड्रोन के माध्यम से पार्सल को कुरियर करने की क्षमता में होगी। भारतीय डाक अपनी सेवाओं के सम्बन्ध में नियमों में निर्धारित किसी दायित्व के अतिरिक्त कोई भी दायित्व नहीं लेगा।

सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो पिछले अधिनियम और वर्तमान विधेयक में कुछ तुलनात्मक अध्ययन है। भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में 77 धाराएँ थीं और डाकघर विधेयक, 2023 में केवल 16 धाराएँ हैं। पिछले अधिनियम में पत्र/डाक पर एकाधिकार था, डाकघर विधेयक, 2023 में अब वह एकाधिकार नहीं है। पिछले एक्ट में दंडात्मक प्रावधान की 23 धाराएँ थीं, इस विधेयक में कोई दंडात्मक धारा की व्यवस्था नहीं है। पहले फोकस मुख्यतः मेल पर, डाक पर था, लेकिन अब नया विधेयक, 2023 डाक द्वारा जनता के उपयोग की सुविधाएँ उसके मोहल्ले में और उसके गाँव में देने पर केन्द्रित है। रिजर्वेरियम में पहले पत्र रहते थे, अब डाक टिकट और डाक लेखन सामग्री भी उपलब्ध होगी। भाषा पहले जटिल थी, अब इस विधेयक में उसको सरल करने का काम किया गया है। दायरा - पहले डाकखाना सरकार-केन्द्रित था, अब डाकखाना नागरिक-केन्द्रित है। यह इस पोस्टल बिल, 2023 के माध्यम से जनता को उपहार के रूप में मिलेगा। डाक शुल्क सीमित - डाकघरों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं में देय राशि को कवर करने का काम करेगा। मैंने एक बात पहले कही थी कि पता सूचकों और पोस्टल कोडों का प्रावधान होगा। पहले दरों को तय करने की शक्ति शासन में थी, अब यह महानिदेशक में होगी।

कुल मिलाकर इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने पोस्टल सेवाओं को जनोन्मुखी बनाने में जो प्रयास प्रारम्भ किया है, निश्चित तौर पर पिछली सरकारों के समय, जिनके बिल्स स्टैंडिंग कमेटी में जाकर या लैप्स होकर चले गए, उन सरकारों को डाक सेवाओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की कोई चिन्ता नहीं थी, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने और आदरणीय मंत्री, श्री अश्वनी वैष्णव जी ने जिस प्रकार का विधेयक लाया है, इसके लिए मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूँ, साधुवाद भी देना चाहता हूँ। इस बिल के माध्यम से डाक सेवाएँ जनता के दरवाजे पर पहुँचेंगी, वे जनोपयोगी होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है, धन्यवाद।

**श्री सुखेंदु शेखर राँय (पश्चिमी बंगाल):** सर, मुझे लगता है कि आज ट्रेजरी बेंचेज का माहौल ऐसा है कि शायद वे मन में यह पुराना गीत गुनगुना रहे हैं कि —

*" कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे,  
दिल की ऐ धड़कन ठहर जा मिल गयी मंजिल मुझे"*

मैं उन लोगों को बधाई देता हूँ, कांग्रेस पार्टी को भी बधाई देता हूँ। जो भी सफलता जिनको मिली है, लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। सर, आज के दिन एक ऐसा बिल लाया गया है, जिसके लिए

मेरे मन में बहुत अफसोस है। मैं वह अफसोस जताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ दो क्लॉजेज़ को रेफर करूँगा। Clause 9, sub-clause (1), शक्ति सिंह जी ने कहा, the Central Government may, by notification, empower any officer to cause any item in course of transmission by the Post Office to be intercepted, opened or detained in the interest of the security of the State, friendly relations with foreign states, public order, emergency, or public safety or upon the occurrence of any contravention of any of the provisions of this Act or any other law for the time being in force. Now, before I come back to this, if we look at Clause 16, sub-clause (1), it says that the Indian Post Office Act, 1898 is hereby repealed. तो पुराना ऐक्ट repeal हो गया, लेकिन क्लॉज 16 के सब-क्लॉज (2) में फिर बताया जा रहा है, "Notwithstanding the repeal of the Act by sub-section (1), all rules, notifications and orders, made or purported to have been made under the Indian Post Office Act, 1898, shall, in so far as they relate to matters for which provision is made in this Act and are not inconsistent therewith, be deemed to have been made under this Act and shall continue...". So, on the one hand, it is repealed, on the other hand, the other provisions, which are not inconsistent with this Act, shall continue. तो हाँ भी है, न भी है।

Sir, I am coming back to Clause 9, sub-clause (1). This Clause, according to me, fails to specify the procedures to be followed for interception by the authorized postal officer. What is the procedure which shall be followed by the postal officer while intercepting? About national security, every citizen of this country is concerned and we are also concerned. Had there been any provision, based on the information received from Central agencies, which are dealing with the national security point, then also, we could have agreed to this provision. But, on the basis of even suspicion, can the authorized officer intercept, open, destroy or do anything which he wants to do? This is arbitrary. In a plethora of cases, the Supreme Court has held that arbitrariness in executive action is anti-thesis to the rule of law. This Government has not even shown any respect to the hundreds of case laws which have established this point. The ground specified for interception is absolutely vague that anything and everything can be brought under this provision. Take, for example, the expression 'emergency'. One of the expressions is 'emergency' other than the national security. But the expression 'emergency' has not been defined in the Definition Clause, that is, Clause 2 of this Bill. So, what is 'emergency'? Nobody knows. This provision has given unbridled powers to the authorities concerned. I remember one of the Supreme Court verdicts, which was given in 1996 in the case of interception of telecommunications. That was a 1996 case. There, the Supreme Court held that a just and fair procedure to regulate the power of interception must exist; otherwise, it is not possible to safeguard the rights of citizens under Article 19(1)(a) as a part of

Freedom of Speech and Expression and Article 21, the Right to Privacy as a part of the Right to Life and Liberty. It was reiterated in the People's Union for Civil Liberties vs. The Union of India in 2004. In this context, I would like to refer to another Act passed in this year, The Jan Viswas (Amendment of Provisions) Act, 2023 which removed all offences and penalties from many Acts including the Indian Post Office Act, 1898 in the name of Ease of Doing Business and Ease of Living. Virtually, in my opinion, the Act has turned to be the *Jan aviswas Act* in as much as it has ensured a free for all situations for the wrong-doers in detriment to public interest.

In this Bill also, Clause 10, Sub-Clause (2) provides and I quote, "No officer of the Post Office shall incur any liability with regard to a service provided by the Post Office, unless the Officer acted fraudulently or wilfully caused loss, delay or mis-delivery of service." However, what the consequences would be if any Postal Officer fraudulently act or wilfully cause loss to service, there is no such provision. Sir, kindly, one minute. In the parent Act of 1898, there was provision for imprisonment up to 2 years, a fine or both. That has been removed.

This Bill does not whisper about the private courier services and they have been excluded from the purview of the Bill. This undermines the equality before the law. This is too much of laissez faire.

Sir, finally, I submit that this Bill, if passed, shall create another avenue in transforming our democracy into a surveillance state after the Pegasusgate and that is why, I oppose this Bill in its entirety, on behalf of my party, All India Trinamool Congress. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri P. Wilson.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to express my strong opposition to the Post Office Bill, 2023 in its current form as it will lead to winding up of post offices and its services in India. This Bill is a step to privatise and encourage private players in postal services. The Bill is introduced without studying the services required in the competitive world. It lacks a complete blue print on infrastructural upgrades, technological intervention for sorting and facilitating accurate delivery of mails and parcels and appears to be a hasty exercise just to replace old colonial laws.

Our prestigious India Post, which is the world's largest postal network, has its presence across every nook and corner of our country serves as a vital link connecting urban and rural India, often viewed as a lifeline for 1.4 billion Indians, it plays a critical role in our daily lives.

The proposed Bill, aimed at replacing the Indian Post Office Act of 1898, needs an immediate re-consideration as certain provisions could have far-reaching implications.

Under Clause 9, the Central Government can empower any postal officer to intercept, open or detain any postal article on the grounds of security of state, friendly relations with foreign states, public order, emergency or public safety.

The provision grants unfettered powers to the Union and the Officer to arbitrarily intercept, open or detain any postal article in the garb of national security or public safety. In the absence of any procedure, yardstick or guidelines to be followed by such officer, such powers are nothing but another step towards the surveillance State which is violation in the teeth of Articles 14, 19 (1) (a) and Article 21 of the Constitution. It is pertinent to mention that the hon. Supreme Court in a catena of judgements has upheld the ethos of right to privacy. I ask myself the question as to how any officer of the Post Office is qualified to undertake such functions which are in a nature of search and seizure. By granting such powers, the privacy of all the citizens who use the services of Indian Posts is severely compromised since there is no provision in the Bill which injuncts the officer from leaking any contents of the intercepted postal articles. A son will be writing to his mother, a husband will be writing to his wife, brother to his sister, a client to his lawyer, a lawyer to his client, cabinet communications to other departments. Can you intercept these communications as stated in Clause 9? Will it not affect the privacy or will it not affect the confidential privileged communications which are protected under the law? Clause 10 exempts the Post Office from any liability with regard to a service provided by the Post Office. This provision is severally vague and suffers from the ambiguity as the phrase 'such liability' in Section 10 (1) can be interpreted to be anything. The provision makes no regard to the value of the articles to be dispatched through post. Many private players, in case of any lapse of services, will provide options such as the value of the article in transit or the money-back guarantee. However, the Indian Postal Department seeks to absolve itself from compensating from any loss caused due to the lapse in services. This indeed can open the way for abuses as the party empowered to impose such rules is an interested party. Though it prescribes liability for postal officers who are acting fraudulently or wilfully causing loss, delay or mis-delivery, the consequences of such action is not provided in the Bill. This dilutes the provisions of the earlier Act of 1898 which prescribes imprisonment, fine or both in the above cases. Clause 10, thus, is highly arbitrary and discriminatory and will push the people to skip the Indian Postal services. The Bill under the Statement of Objects and Reasons aims to provide for a simple legislative framework to facilitate evolution of the

Post Office for delivery of citizen-centric services; however, the provision shows that such evolution is only backwards.

The Bill grants the parallel powers to both the Union and the Director General to frame rules and regulations for conducting any functions essential for running of a Post Office. This highlights the ambiguity and overlapping powers of the Central Government and the Director General in framing the rules and regulations for delivery of several postal services.

I hope, this House, while we recognize the importance of modernizing our postal services to be competitive with the private players and it is crucial to strike a balance that upholds constitutional principles, protects fundamental rights and ensures accountability. Our rich postal heritage, serving millions across the nation, deserves a legislative framework that reflects the spirit of transparency, fairness and citizen-centric governance and not another source for surveillance State and affect the fundamental rights of speech and reputation. Thank you, Deputy Chairman, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Shri Raghav Chadha.

**श्री राघव चड्ढा (पंजाब) :** सर, अपने 115 दिन के सस्पेंशन के समाप्त होने पर मैं पहली बार इस सदन में बोलने जा रहा हूँ, इस नए संसद भवन में पहली बार बोलने जा रहा हूँ तो आपका संरक्षण चाहूंगा।

**श्री उपसभापति :** आपके पास 5 मिनट का समय है।

**श्री राघव चड्ढा :** सर, आप अगर चाहें तो इसे मेडन स्पीच मानकर भी मुझे अधिक समय दे सकते हैं।

सर, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से दि पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सर, इस कानून को अगर बारीकी से पढ़ा जाए तो इसमें दो बड़े खतरनाक प्रावधान हैं, जो सेक्शन 9 और सेक्शन 10 हैं। ये ऐसे खतरनाक प्रावधान हैं, जो भारतीय डाक सेवा को इतनी शक्तियां दे देंगे कि वे किसी भी शिपमेंट को, कंसाइन्मेंट को, पोस्ट को और चिट्ठी को खोलकर उसे सीज़ कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं। उसके subsequently जो उस पर एक्शन लेना चाहते हैं, वे ले सकते हैं। इसके कोई rules, कोई procedure, कोई दायरा या कोई criteria इस कानून में नहीं लिखा गया है। मैं पहले Section 9 पढ़कर सुनाना चाहूंगा, फिर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। Section 9 कहता है कि The Central Government may, by notification, empower any officer to cause any item in course of transmission by the Post Office to be intercepted, opened or detained in the interest of (i) security of the State, (ii) friendly relations with foreign states, (iii) public order, (iv) emergency, and (v) upon the occurrence of any contravention of

any provisions of this Act or any other law for the time being in force. यानी इन पांच scenarios में Indian Post Office को पूरी शक्ति है कि वे किसी की भी डाक को या consignment shipment को intercept कर सकता है, detain कर सकता है और खोल सकता है। इसमें सात बड़ी समस्याएं हैं, जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली, big brother syndrome है - यानी हर तरीके से अपने नागरिकों पर surveillance रखना, वे क्या communicate कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, चिट्ठी-पत्र में क्या लिखकर भेज रहे हैं, उस पर सरकार की आंखें रहें और सरकार को मालूम रहे। ये big brother syndrome है, जिससे यह बिल पूरे तरीके से पीड़ित नजर आता है। इसमें दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह निकलकर आती है कि यह बिल procedure specify करने में फेल हो जाता है। वे ऐसे कौन-से प्रोसीजर्स हैं, जिसके तहत आप किसी डाक को intercept कर सकते हैं, खोल सकते हैं या detain कर सकते हैं। यह एक arbitrary शक्ति नहीं हो सकती है। यह शक्ति निर्धारित होनी चाहिए कि ऐसी कौन-सी emergency या friendly states को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिसके चलते या खास तौर पर किसी भी प्रावधान, किसी भी कानून का violation होता है, तो वह आपको शक्तियां दे देता है कि आप किसी की भी डाक रोक लें। इसमें यह दूसरी बड़ी खामी है। इसमें तीसरी बड़ी खामी यह है कि इसमें grounds को specify किया गया है कि किन grounds के तहत आप किसी की डाक को, शिपमेंट को खोल सकते हैं, confiscate कर सकते हैं, intercept कर सकते हैं, वे grounds बहुत vague हैं। किसी भी shipment को रोकने के लिए या किसी भी consignment, चिट्ठी या डाक को रोकने के लिए कोई भी कानून बनाकर या कोई भी मनगढ़न्त कहानी बनाकर आप उसे रोक सकते हैं। इतने vague grounds, यह कानून भारतीय डाक सेवा को देने जा रहा है। चौथा और सबसे बड़ा खतरा जो इस बिल से है, वह यह है कि जो अफसर इसको intercept करेगा या confiscate करेगा, अगर वह अफसर गलत पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसे पूरी आजादी है। पांचवां, Article 19 और Article 21 का violation है। सर, इसके साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा कि यह right to privacy का violation है। हाल ही में मेरे साथ और इस सदन के कई सदस्यों के साथ right to privacy का violation हुआ है। मेरे अपने Apple के smartphone पर एक notification आया, जिस नोटिफिकेशन में यह लिखा गया कि State-sponsored attackers ने आपके फोन को infect कर दिया है और इसके जरिए आपके camera, फोन के mic, फोन के अंदर जितने भी documents, passwords, contacts हैं, वे सारे State-sponsored hackers की निगरानी में आ जाते हैं, उनके possession में आ जाते हैं। यह किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि देश के कई सांसदों के साथ हुआ। सर, दिलचस्पी की बात है और मैं कहूँ कि खतरनाक बात यह है कि यह सिर्फ विपक्ष के सांसदों के साथ हुआ, ऐसी जानकारी आई और शायद उसमें सत्ताधारी पक्ष के भी एक सांसद थे।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over. Please conclude.

**श्री राघव चड्ढा :** ज्यादातर जो लोग इसमें पाए गए, जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ीं, उसके मुताबिक विपक्ष के या जो सरकार के आलोचक थे, यह बड़ा खतरनाक हमला उनके फोन्स पर हुआ। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इसकी जांच करे। आपकी अध्यक्षता में जांच हो, एक Joint

Parliamentary Committee का गठन हो कि किस प्रकार से यह State-sponsored attackers Pegasus नाम के और अन्य प्रकार के softwares का इस्तेमाल करके, जिन्हें आप कह सकते हैं कि सरकार के आलोचक हों, उनके ...(समय की घंटी)... या विपक्ष के नेताओं के फोन को infect कर रहे हैं। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ और मैं यह चाहूँगा कि जो Apple का नोटिफिकेशन यहां बैठे कई सांसदों, विपक्ष के सांसदों के फोन पर आया, उसके बारे में सरकार अपनी बात रखे और जांच भी बैठाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Raghavji. Now, Shri Niranjana Bishi.

3.00 P.M.

SHRI NIRANJANA BISHI (Odisha): Thank you, hon. Deputy Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Post Office Bill, 2023.

Sir, the Post Office Bill, 2023 will abolish the 125 year old Indian Post Office Act, 1898. By virtue of this Bill, the work of the post office will become easier. The Bill seeks to modernise the postal services and match them with Digital India. This includes offering online shopping, e-commerce solution and digital payments. For this, I would like to congratulate our hon. Minister of Communications, Shri Ashwini Vaishnaw.

Sir, the Bill seeks to utilise the wide network of post offices to provide banking and insurance services closer to the SC/ST, women and farmers which will boost rural development. There is a possibility of creation of job through expansion of postal and financial services especially in rural areas which can contribute to economic growth and reduce unemployment. According to this Bill, the Central Government will appoint an officer and if that officer feels that any person is against the security of the nation or can disturb the peace, then, that officer can stop the person, open his letter and check it and can confiscate it and such item can be destroyed also. As law and order is a State subject, the State Governments are empowered to verify these articles. The Bill will make India's postal services globally competitive and will boost trade and facilitate international delivery and logistics and also promote financial inclusion of rural areas which will promote rural development. Sir, there are 2,72,000 Gramin Dak Sevaks in India working in 1,56,000 branches of post offices. The GDS are also known as Post Masters, Branch Post Masters and Dak Masters in rural areas. They perform the duty for post office services, like Rural Postal Life Insurance, P.L.I., India Post Payments Bank, Sukanya Samridhi Accounts, Mahila Samman Accounts delivering letters, parcels, articles, collecting and depositing of premiums regularly. The Gramin Dak Sevaks are also distributing pensions, stipends, wages of

NREGA, wages of kendu leave pluckers in rural areas. But, Sir, these Gramin Dak Sevaks are not provided with any Travelling Allowance, Dearness Allowance, House Rent Allowance, Pensions, Medical Allowance, Education Allowance for their children, leave benefits like regular employees of postal Department. Sir, the Gramin Dak Sevaks, those who are working in rural areas, they are doing more than eight hours duty. In some villages, there is no internet service also. In some parts of Western Odisha and Southern Odisha, there are no post offices in many big villages and Panchayats. Also, there is no internet connectivity due to which the post masters, branch post masters, dak masters, all of them are facing a lot of problems. Therefore, I request our hon. Minister to conduct a survey in rural areas to provide better service to farmers and women self-help groups and students living in the villages of rural areas and to make provision of internet connectivity and communication facility. Sir, through you, I draw the kind attention of hon. Minister of Communications, Shri Ashwini Vaishnaw to these issues. I also request that Gramin Dak Sevaks, post masters or branch post masters should be provided with departmental status and their service should be regularised.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI NIRANJAN BISHI: Also, they should be provided Group Insurance Scheme benefit; encashment of unutilized paid leave should be of 180 days; service discharge benefit scheme should be increased from 3 per cent to 10 per cent. The recommendations of the Kamlesh Chandra Committee should be implemented in favour of *Gramin Dak Sevaks* also. The Committee has observed that the Department of Posts depends on successful management of *Gramin Dak Sevaks*. So, the *Gramin Dak Sevaks* are the soul of the Postal Department. And, it is difficult to survive without a soul. Therefore, their demands should be fulfilled.

With these words, I support this Bill on behalf of my party BJD and also on behalf of my leader, Shri Naveen Patnaik. Thank you very much.

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for allowing me to share a few of my thoughts on the proposed amendments to the Post Office Bill 2023.

Sir, there have not been any amendments to this colonial Act in the past 125 years. I appreciate the introduction of such an essential piece of legislation in Parliament.

There are a few positives of this Amendment Bill. This Bill increases the authority of the Central Government to intervene in such situations involving vital aspects, such as security, maintaining public order, responding to emergencies, and ensuring public safety. More specifically, the Bill allows for the interception, examination, and temporary detention of any item in transit through the postal system under the aforementioned circumstances. Such a provision can be a game-changer in terms of countering illicit smuggling and unauthorised transportation of drugs and contraband products *via* postal services. Thus, I applaud this positive approach in addressing the evolving nature of threats and risks associated with the postal network.

An enhanced pricing flexibility is also being considered in this Bill which is critical, especially, in the context of increasingly competitive business which lets the postal services promptly respond to the market's ever-changing expectations.

Furthermore, the postal service's independent pricing allows it to stay adaptable in the face of a changing economic situation. The ability to alter service charges and pricing structures allows the department to ensure that its services remain affordable, accessible, and sustainable even when economic conditions change. In essence, this empowerment aligns with the postal department's mandate to deliver to diverse spectrum of citizen-centric services.

Now, I come to generalizing the nomenclature for interception of parcels. In contrast to the outdated provisions of the existing 1898 Act, the Bill introduces a significant shift in its approach to the interception of objects within India's postal system. The key distinction is in the usage of the terminology where the present Act explicitly defines seized postal products as those carrying 'explosive, dangerous, filthy, noxious, or deleterious substances', while the new Bill, on the other hand, has broader and more inclusive phrasing.

Recent data shows an increase in security threats and illegal activities related to postal system not only in India but also globally. This purposeful change in terminology serves an important purpose as it broadens the scope of interception beyond the constraints of specified items, embracing a broader range of potential security threats and criminal activity involving mail shipments. By taking a more general stance, the measure recognizes the changing nature of security concerns.

However, there are certain problems pertaining to the Bill and the Indian Postal Services remain addressed. I would like to highlight a few of them and provide my suggestions to them.

The powers relating to intercepting postal articles lack procedural safeguards, raising concerns about potential violation of individuals' freedom of speech, expression, and privacy.

Additionally, the ground of 'emergency' as a basis for interception may surpass reasonable restrictions outlined in the Constitution. The term 'Emergency' lacks a precise definition, providing a broad scope for interception. This goes against the constitutional principles established by the Supreme Court and requires more clarity.

My next point is about exemption from liability for lapses in services. This also needs to be looked into.

My next point is about removal of offences and penalties. The absence of provisions for offences and penalties, as they were removed by the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023, remains another issue. As per the earlier 1898 Act, various offences committed by the officers of a post office, which included the illegal opening of postal articles by a postal officer, were punishable. However, now, such actions would have effectively no consequences. It raises questions about ensuring the privacy of individuals and may have adverse implications.

Coming to regulation of courier enterprises, although the Bill gives India Post authority to improve its postal services operations, it is critical to recognize that the regulatory environment for courier enterprises is still relatively under-developed. This regulatory void presents a number of significant questions.

As regards the issues faced by the employees of the Department, my other colleagues have mentioned about that. I want these to be taken note of.

The key issues which affect the functionality of the Indian Postal System also need to be taken into consideration. For example, the post offices lack necessary infrastructure to function successfully as points of service and information transmission. Issues such as intermittent power supply, outdated manual operations and limited physical accessibility still remain a problem.

The revenue deficit issue also needs to be taken into account. So, while I see that there are a few issues where we have given suggestions, but we strongly believe that this Amendment is coming at the right time. The passage of this Bill is an important step in the restructuring of India's postal services. By repealing outdated restrictions, this Act guarantees that India's postal industry stays dynamic and inclusive, successfully adapting to the changing requirements of its varied population. With this, from the YSR Congress Party, we support this Bill. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Ayodhya Rami Reddyji. Now, Shri A. A. Rahim.

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I thank you for giving me this opportunity.

I express my deep concerns and critique over Post Office Bill, 2023. My objections against this Bill are very specific.

Sir, my first point is that this Bill is against the Constitution and breaching the Fundamental Rights provided by the Constitution. Secondly, this Bill is against the federal principles. Thirdly, through this Bill, the Government is giving up the liabilities invested upon them. My fourth and final point is about the concern over the privatization of the postal services.

Sir, I would like to start from my last point. I am bringing your attention to the Objects and Reasons of this Bill, which state that this Bill facilitates the evolution of Postal Services. In the light of this line, through you, I would like to ask the hon. Minister: What has the Modi Government done for the prosperity of Postal Services? Sir, I would like to expose that since 2014, not even a single post has been created in the Postal Services. Also, I would like to remind all of you that as of now, 90,000 posts are lying vacant. Is this the evolution and prosperity of the Postal Services? In this context, I have a deep concern over the privatization of the Postal Department. It is evident that if you see non-creation of posts or lack of recruitment together, with the introduction of this, this Bill paves the way for privatization.

Coming to the next point, according to the Clause 10 of this Bill, this Bill has a significant omission concerning the consequences for officers who misappropriate or damage postal items, which used to be a punishable offence, but it is not addressed in the Bill. This oversight will negatively impact the Department's efficiency and the integrity of the officers involved, eroding the trust in the services provided.

Sir, my third point is that this Bill is against the federal principles of the Constitution. Sir, this is the new normal phenomenon of the *Man Ki Baat* era under the Modi regime. It is against federalisation. This is the new normal in the *Man Ki Baat* era. The Bill removes the authority of the State Governments or their authorized officers to intercept a shipment, vesting this power entirely on the Union Government or its designated officers. Sir, this is a direct attack on federal principles.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over.

SHRI A.A. RAHIM: Sir, just one minute.

Sir, I am going to my first and my prime point. According to the existing law, this Bill is intentionally trying to breach the privacy. As we know that, according to the Constitution of India, privacy is part of our life. Sir, the privacy is the main thing. It is a fundamental right. I would like to add one more thing that the Government is trying to

change the grounds for interception, the interception of the shipment, and the Government, according to this Bill, is intentionally trying to breach the privacy. ...*(Time bell rings.)*...

So, I would like to conclude by saying that we have the right to protect our privacy, and I am urging this august House to omit the centralization and privatization tendencies of the Post Office Bill, 2023. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Abdul Wahab. Hon. Abdul Wahabji, not present. Ms. Kavita Patidar.

**सुश्री कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश) :** माननीय उपसभापति महोदय, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 पर बोलने की अनुमति प्रदान की। महोदय, जैसा हम जानते हैं, पोस्ट ऑफिस बहुत समय से पुराने ढर्रे पर चला आ रहा था। 'डाकिया डाक लाया' वाला गाना भी हमने सुना था, हमने देखा भी है, लेकिन वर्तमान समय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वह काफी नहीं था। मैं माननीय प्रधान मंत्री, आदरणीय मोदी जी और माननीय मंत्री, अश्वनी वैष्णव जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनके द्वारा इस बिल को सदन में लाया गया। इस बिल में ऐसे कई प्रावधान किए जा रहे हैं, जिनके कारण पोस्ट ऑफिस की तरफ लाखों लोगों का भरोसा और बढ़ेगा।

माननीय महोदय, हम जानते हैं कि पुराना अधिनियम मुख्य रूप से मेल सेवाओं पर केन्द्रित था, जबकि नए अधिनियम में मेल के अलावा कई तरह की नागरिक केन्द्रित सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इसमें डाकघर के विकास और आधुनिकीकरण को भी प्राथमिकता दी गई है। आज पोस्ट ऑफिस का काम सिर्फ लोगों तक डाक पहुँचाना नहीं रह गया है, बल्कि आधार सर्विसेज, ऑनलाइन पेमेंट, पार्सल पहुँचाना, पेंशन पहुँचाना, ऐसी कई सुविधाओं को देने का काम भी आज पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। इस बिल के माध्यम से ऐसे कई प्रावधान किए जा रहे हैं। खास कर पोस्टल सर्विस के डायरेक्टर जनरल की शक्तियों में इजाफा किया जा रहा है। इस बिल के माध्यम से उन्हें सेवाओं से जुड़े जरूरी नियम बनाने की छूट होगी। वे मार्केट के हिसाब से पोस्टल चार्ज की दरें तय कर सकेंगे।

महोदय, अभी सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इस बिल से लोगों की प्राइवैसी पर खतरा है। मैं यहाँ क्लीयर कर देना चाहती हूँ कि इस बिल में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इस बिल के माध्यम से अगर अधिकारी को लगता है कि पार्सल के अंदर कोई ऐसी चीज है, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो अधिकारी के पास यह शक्ति होगी कि वह खुद पार्सल को खोल कर देख सकेगा, उसे रोक सकेगा और ज़ब्त भी कर सकेगा। यह किसी की प्राइवैसी पर खतरा नहीं है, बल्कि इस बिल के माध्यम से इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, अगर डाक अधिकारी किसी पार्सल को संदिग्ध पाता है या उसकी ड्यूटी नहीं भरी गई हो या उसमें किसी तरह का कोई गैरकानूनी सामान हो, तो डाक अधिकारी सीधे कस्टम विभाग को सूचित करेगा, जिसके बाद कस्टम विभाग कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा।

महोदय, पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 में डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार भी दिया गया है। इसके अलावा, डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और इसकी बिक्री से संबंधित नियम भी दिए गए हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पिछले 9 वर्षों में डाकघर को माननीय मोदी सरकार द्वारा एक जीर्ण होती संस्था से ट्रांसफॉर्म करके विकसित बनाया गया है। न सिर्फ डाक सेवाएँ, बल्कि सौ से अधिक सिटिजन सेंट्रिक और वित्तीय समावेशन सेवाएँ डाकियों द्वारा आज नागरिकों के घर-द्वार पर दी जा रही हैं। जहाँ 2004 से 2014 तक 660 डाकघरों को बन्द किया गया था, वहीं मोदी सरकार द्वारा 2014 से 2023 तक 5,000 नये डाकघर खोलने का काम किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 5,746 और नये डाकघर खोले जा रहे हैं, जिनसे देश के कोने-कोने में जनसामान्य तक सिटिजन-सेंट्रिक सर्विसेज़ सुगमता से पहुँचाई जा सकेंगी।

नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में डाकघर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चाहे वह "बेटी बचाओ" अभियान के तहत लाई गई "सुकन्या समृद्धि योजना" के खाते हों या "महिला सम्मान बचत पत्र" हो या डाकियों द्वारा घर-घर जाकर खोले गये खाते हों, आज डाकघर महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। 26 करोड़ बचत खातों के साथ डाकघर आम जनता के लिए बचत की एक भरोसेमंद संस्था बन गया है। यह सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र की सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है। "डाकघर बचत केन्द्र" और "डाक जीवन बीमा" में जनता के कुल मिलाकर 18 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। "इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक" ने 4 वर्षों में ही 8 करोड़ खाते खोल कर मुनाफा कमाना भी शुरू कर दिया है। इसके विपरीत पिछली सरकार द्वारा खोला गया "भारतीय महिला बैंक" high cost of operation के कारण मात्र 3 साल भी नहीं चल सका। डाकघर विधेयक, 2023 एक बहुत सरल लेजिस्लेशन है और minimum government maximum governance को सुनिश्चित करने का प्रयास है। यह डाकघर को और अधिक citizen-centric सेवाएँ प्रदान करने के लिए legal framework तैयार करेगा, इस बारे में हम सब आश्वस्त हैं। पुनः मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय मंत्री, श्री अश्वनी वैष्णव जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Thank you, Deputy Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak.

Sir, we must appreciate the hon. Minister of Communications, Shri Ashwini Vaishnaw, for introducing this Bill. This Bill is a step towards achieving the three pillars of a good postal service -- reliability, reach and relevance. However, I have three suggestions to make to the hon. Minister. First, rethink pricing to increase profitability. Over the last decade, the losses incurred by the postal service have increased by, at least, nine times. The postal rates must be reconsidered to ensure that the subsidies meant for the poor do not go to the rich. This causes a huge financial deficit. You must ensure that the subsidies that you are offering insofar as postal services are concerned do not go to the rich and the postal service gets into

profiteering. Then, the pricing structure has to be rethought. We must think about differential pricing. There is uniform pricing now. There must be differential pricing based on the location. Postal offices located in rural areas must be priced differently from those located in urban areas. Only those post offices that are located in rural areas and in economically weaker regions must be given subsidy. This would improve the profitability. The next point is digitization of services. The Government must try to replace as many traditional services offered through digital solutions as possible. For example, mobile transfer can replace money orders and small savings activities can be redirected to the payment banks. Computers must be provided to all the post offices and centralized software provided throughout the country for postal, banking, insurance and retail services in the post offices, which will facilitate insurance of train reservations, tickets, Aadhaar enrolment, updation of services, etc. All these things will improve profitability and also the quality of services to the rural people. The third suggestion which I would like to make to the hon. Minister is about providing payment banks and financial services in rural areas. The conception of post office payment banks is a sound step and must be expanded through the training of the existing staff to self-financial products like insurance, mutual funds, etc., in the rural areas. This proves our commitment to sustainable financial inclusion and citizen empowerment. Post Offices can be integrated with e-NAM, that is, e-National Agriculture Market initiatives where terminals can be kept in these offices for use by the farmers. This is a very important suggestion. Further, *dak sevaks* can also be used to form a link with e-NAM markets as they have direct interface. These *dak sevaks* have direct interface with farmers and can be given the responsibility of spreading awareness as well as being the link with the market prices. With these suggestions, we support the Bill and commend the Bill. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Vijayasai Reddyji. Now, Kanakamedala Ravindra Kumarji.

[THE VICE-CHAIRMAN (Dr. Sasmit Patra) *in the Chair.*]

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I am very thankful for giving me this opportunity to participate in the discussion. At the outset, I extend my support and welcome the Bill. This Bill intends to replace the Indian Post Office Act passed in the year 1898. Clause 16(1) of the Bill provides for repealing the earlier Act. Over a period of time, Post Offices across the country are providing a variety of services. People approach Post Offices for making Aadhaar cards. Post

Offices are extending financial services. ATMs are also being operated by the Post Offices nowadays. The earlier Act mainly deals with mail services provided by the Post Offices. In the modern world, the mail services are replaced by e-mail services. Post cards are rarely used. Telegram service has been wound up by the Government. Nowadays, only the Government offices and its attached organisations are using it for communications, official intimations, decisions, orders, etc. Under these circumstances, with the necessity to use appropriately the existing human resources with the Postal Department, the Government has brought this comprehensive Bill. I welcome and support it. Though I welcome and support the Bill, I have concerns which I hope the hon. Minister, who is an able administrator, will take into consideration and resolve them.

Clause 3(1) says that the services to be rendered by the Post Office will be decided by the Central Government. This clause gives sweeping power to the Central Government. In view of the federal structure, this type of trend has to be checked out. Clause 9(1) empowers the officer of the Central Government to intercept, open or detain any item or deliver item to customs authority. Such power will hamper the administration and will lead to misuse of power and also the privacy of the public. So, this clause needs a relook. The Bill aims at revamping the entire postal system. All the necessary arrangements that are proposed have to be kept in the Bill itself instead of making rules in this regard by the Executive.

I earnestly appeal the Government to consider the above suggestions, take appropriate decision and make necessary amendments. With these vital submissions, I extend my support and gratitude for giving me this opportunity. Thank you.

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान) :** माननीय उपसभापति महोदय, आज जो बिल लाया गया है, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। माननीय प्रधान मंत्री जी युग प्रवर्तक हैं। एक युग से, सैकड़ों सालों से जो कानून पड़े हुए थे, जिन कानूनों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था, युगानुरूप उन कानूनों में परिवर्तन करने की साक्षी यह राज्य सभा भी है और लोक सभा भी है। इसी प्रकार से, इस बिल को माननीय श्री अश्वनी जी लेकर आए हैं। अश्वनी कुमार का अर्थ है - देवताओं के चिकित्सक, तो ये देवताओं के चिकित्सक होने के साथ-साथ रेलवे के, पोस्ट ऑफिस के और बीएसएनएल के भी चिकित्सक बन गए हैं, ये ऐसा बढ़िया बिल लेकर आए हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, इस बिल में दूसरी जो बहुत अच्छी बात है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। भगवान कृष्ण ने तो यह कहा था कि 'चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं' अर्थात्, चार वर्ण की मेरी सृष्टि है, लेकिन मोदी जी ने कहा है- 'चातुर्जातिं मया सृष्टं' अर्थात्, मेरी सृष्टि में चार जातियाँ हैं - एक गरीब, एक महिला, एक युवा और एक किसान। उनकी ये चार जातियाँ हैं और यह बिल इन चारों जातियों को हेल्प करने वाला है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के लिए यह कहना चाहता हूँ कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस बिल की केवल एक बात की आलोचना की, जो कि सेक्शन 9 और 10 के बारे में है। वे कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट करने का अधिकार क्यों है? यह प्राइवैसी पर हमला है। इस देश में प्राइवैसी है, पर इस देश की सुरक्षा की भी बात है। आपने बहुत बार देखा है, जब पार्सल बम भेजे जाते थे और जगह-जगह पर बमों के धमाके होते थे। इस देश में अब शहरों में बमों के धमाके होने बंद हो गये हैं, पार्सल में धमाका होना बंद हो गया है, तो आगे धमाके नहीं हों, इस काम के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जब जन-धन खाते खोले गए थे तो कहा गया था कि बिना कुछ सोचे-समझे ये खाते खोले जा रहे हैं, उनमें कहाँ से पैसे आएँगे? आज उन खातों में कितने रुपए जमा हो गए! आज गांव का गरीब आदमी पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक में जाकर अपना खाता खोल सकता है और वह अपना काम कर सकता है। उसके पहले तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस सर्विसेज को ही बंद करने का मानस बना लिया था, वे पोस्ट ऑफिस बंद करने लग गए थे। जो संस्था मृतप्राय हो गई थी, उस संस्था को जीवन दान देकर उसको नया स्वरूप दिया गया है, उसको परिष्कृत किया गया है। उसको परिष्कृत करने के लिए ही यह बिल है। महोदय, इसमें 16 प्रावधान किए गए हैं। जिस तरह अपने यहाँ शास्त्रों में 16 श्रृंगार की बात की गई है, उसी तरह 16 उपबंधों के साथ पोस्ट ऑफिस के श्रृंगार किया जा रहे हैं। यह श्रृंगार करने का जो बिल है, वह उसको संहार से भी बचाता है। मैं इसलिए श्रृंगार बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले यह कहा गया कि पहले कबूतर प्रेम का संदेश लेकर जाता था। हमारे यहां पर 'कुरजां ऐ...' गाया जाता था- 'कुरजां ऐ म्हारो भंवर मिला दे, मेरा भंवर मिला दे।' इस तरह से कुर्जा गायी जाती थी, कबूतर के गाने गाए जाते थे। पहले यहां तक कहा जाता था कि "फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है", लेकिन अब तो खत जाता ही नहीं! ये लोग कई बार चर्चा करते हैं कि साहब, इससे प्राइवैसी खत्म हो जाएगी। अब ईमेल का जमाना है और लोग ईमेल-ईमेल करते रहते हैं, रोज चैटिंग करते हैं, हाय-हैलो करते रहते हैं, इसमें किसकी प्राइवैसी खत्म हो रही है? इस सरकार के आने के बाद इसमें एक लाख नये लोगों को रोजगार दिए गए हैं, 5,000 से 7,000 नए पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं। सर, इसके अंदर पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। पहले गांव में पासपोर्ट बनाने की कौन सोचता था? पहले यह होता था कि पासपोर्ट बनवाने के लिए शहर में जाकर लाइन लगाओ, एमपी की सिफारिश कराओ, एमएलए की सिफारिश कराओ, इतना नाटक करो। लेकिन, इसमें एक मानसिक विकृति की समस्या है। जब कोई आदमी लगातार हार का सामना करे और लगातार उनकी बातें उनके खिलाफ आएँ, तो वह बैठ जाता है और बैठ जाने के बाद वह बोलता है - फर्जी डिग्री! अब किस पर चर्चा हो रही है? यह चर्चा पोस्ट ऑफिस के बिल पर हो रही है। कल हिन्दुस्तान की जनता ने जो प्रहार किया है, उससे विचलन हो गया है और उस विचलन के कारण वे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, जो उचित नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि सरकार केवल यह एक बिल लेकर नहीं आई है, बल्कि आज उन तीन बिलों की भी चर्चा की गई, जो यहाँ सूचीबद्ध किए गए हैं। इन सारे कानूनों में संशोधन होना है। जन विश्वास कानून लाया गया है, जिसमें 43 कानूनों में संशोधन किए गए हैं। उनमें जो आपराधिक सजा के प्रावधान थे, वे खत्म किए। Ease of doing

business on ease of living life, इसको करने के लिए ये सारे काम किए गए हैं। यह युगपरिवर्तनकारी काम है और नरेन्द्र मोदी जी युगपरिवर्तक के रूप में हैं, इसलिए सदन इस बात का साक्षी है कि इस पोस्ट ऑफिस बिल के माध्यम से हम आतंकवाद को नियंत्रित करने की बात करेंगे, गांव में पासपोर्ट बनने लगे, उसकी मांग करेंगे और गांवों में खाते खुल जाएं, उसकी मांग करेंगे। आज गांवों से एक्सपोर्ट हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने कई सारे नाम बताए कि अमुक प्रांत के अमुक गांव से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 40 देशों को निर्यात किया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि सब योग्यताओं के साथ आगे की बातों को ध्यान में रख कर बहुत ही संक्षिप्त विधेयक लाया गया है। दूसरी बात यह कि आज कोरियर सर्विसेज़ हैं, आज कई लोग कहेंगे कि सरकारी होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए कि रेलवे में कितना सुधार हुआ है, रेलवे के प्रोडक्शन में जो प्राइवेट भागीदारी बढ़ी तो रेलवे का कितना सुधार हुआ है, पोस्ट ऑफिस में कितना सुधार हुआ है, डाक सेवाओं में कितना सुधार हुआ है। इस सुधार के लिए आज कोरियर सर्विसेज़ हैं, कोरियर सर्विसेज़ से भी बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए यह जो विस्तार का काम है, उसका ज़िम्मा इस सरकार ने लिया है। क्योंकि पिछली जो सरकारें थीं वे लीक पीटती थीं कि यह बिल बना हुआ है, इसमें अमुक अमेंडमेंट कर दो। यह सरकार विधेयकों को नए स्वरूप में लेकर आ रही है। आज की आवश्यकता के अनुसार, आज के समय के अनुसार, भारत के बढ़ते हुए स्वरूप और भारत की आगे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यह बिल लाया गया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय को भी इस बिल के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 11 हजार से अधिक पंचायतें और 44 हजार से अधिक गांव हैं, उन गांवों तक कोई बैंक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन पोस्ट ऑफिस गांव-गांव तक पहुंचा है और उस पोस्ट ऑफिस में गांव का आदमी अपना सेविंग बैंक का अकाउन्ट खोलकर, अपना पासपोर्ट बनाकर, अपना रुपया लेकर अपना एक्सपोर्ट करने का काम कर सकता है। यह एक बहुत अच्छा विधेयक है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shri Abdul Wahab.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak. As I was attending a Parliamentary Committee meeting, I got late and I am sorry for that. Sometimes, problem comes when the Committee meeting is at the same time.

Anyway, Sir, I stand here to oppose the Bill. After a long time, a much-needed Bill came but there is a provision in the Bill which allows employees to open postal parcels in the interest of national security. People will love to go to other agencies because I am sure that they will open the same, and, whether it is the issue of security or no security, it will become a practice. There is a provision which says that the Post Office and officers of the Post Office shall be exempt from any liability by reason of any loss, mis-delivery, delay or damage in course of any service provided by the Post Office. How can be it left completely open? Some restrictions should be

there. As far as flexibility to fix prices to compete with the fiercely competitive industry is concerned, definitely, courier service is a competitive service. It is not a business for the Government. It should be for the benefit of public. In the name of competition, they cannot fix prices. Indian Postal Service is known for its service and it should continue to do that. The reason why I am opposing this Bill is that there is no privacy in the letters and parcels sent by the clients, there is no consequence of unauthorised opening of postal articles, there is no liability of postal officers in case of loss and that the charges for postal services may become unaffordable for the common people. Due to these reasons, I oppose the Bill. Thank you.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, the intent of this Bill ought to have been the strengthening of the network of the postal services framework in India to make it more robust, modernised and speedier. But the legislative intent of the Bill does not seem to be anywhere near these objectives. It is like trying to fit a giraffe into a mailbox. It aligns more with the plan to turn us into the most surveilled nation. In the current scenario, in India, there has been an erosion of trust in almost all Government-provided services. The diminution of this trust has lead to more inclination towards private services. Sir, the proposed Bill should not solely focus on transforming post offices into financially viable entities, but it should also emphasize the need for operational efficiency. It is important to position them as the preferred choice of the public. सर, अब ज़माना बदल गया है। जैसे घनश्याम तिवाड़ी जी ने कहा कि अब हमारे पत्र कबूतरों के माध्यम से यहां-वहां नहीं जाते हैं। मिर्ज़ा ग़ालिब ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी -

*"कासिद के आते-आते खत इक और लिख रखूं  
मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में।"*

सर, यह जो धीमी-धीमी रफ़्तार थी, वह अब नहीं है, क्योंकि ज़माना तेज़ हो गया है। अब जीवन जितना गतिमान हो गया है, पोस्टल सर्विसेज़ को भी उतना ही गतिमान होना होगा। Private courier services की स्पीड को मैच करना होगा। Sir, private services, by the way, have not been brought within the purview of this Act, and I wonder why! My point number one is, why do we need these services? I think the Department has to make proper utilisation of the growing needs of digital banking services. That is why this has come in. But we still have to talk a lot about infrastructure, how to modernise this infrastructure. Nothing like this has been mentioned in the Bill. Then, why is the burden of pricing being shifted entirely to the Postal Department? Do we have any ceiling on this? The Bill specifies no mechanism on how the prices are going to be regulated by the Department. Our focus ought to be on improving services for the

public and not making money. Sir, the Act exempts the government from any liability related to theft, misappropriation, etc., which has been expressed by many of us. Officers are also exempt from all liabilities. In fact, the Jan Vishwash Amendment Provisions Act, 2023...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude. Take 30 seconds and conclude.

DR. FAUZIA KHAN: Alright, Sir. So, what I want to say is that officers have got an immunity shield. They may indulge in corrupt practices through it, and we are left with our privacy like dancing in the monsoon rain without an umbrella. So, I think, it is important that we are concerned about privacy. Security concerns are all right, but we cannot undermine the need for privacy. Thank you, Sir.

**श्री लहर सिंह सिरिया (कर्नाटक) :** उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए बुलाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं पार्टी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया। सर, मैंने यह बिल देखा है कि जो 125 वर्ष पुराने कानूनों को बदलकर नए कानून लाए जा रहे हैं। आज मैं आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस संस्था वर्षों से हमारे दिल से जुड़ी हुई है। आज उसको उन्होंने बचाए रखते हुए उसको आधुनिकीकरण पर ले गए हैं। उसका मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ। सर, मैं 50-55 वर्षों से आई.टी. सिटी बेंगलुरु में रह रहा हूँ और आई.टी. सिटी बेंगलुरु से आया हूँ, जो देश की आई.टी. की राजधानी के रूप में जानी जाती है और information technology के रूप में हमारा शहर बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन मेरा बचपन राजस्थान के गांव में बीता है और विशेष रूप से जब तक मैं पांच-छह वर्ष का था, मैं अपने ननिहाल में रहा। एक हफ्ते में एक बार डाक आया करती थी और वह पूरे गांव के लिए एक लाइफलाइन थी। डाकिये इतने समर्पित होते थे कि गांव में जो लोग पढ़े-लिखे नहीं थे, वे उनको चिट्ठी पढ़कर सुनाया करते थे। तो हमारी यह डाक संस्था हमारे दिल और दिमाग से जुड़ी हुई है और यह गांव-गांव की लाइफलाइन है। मेरी उम्र के जो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि वे इस बात को जानते होंगे। मैं एक बात और बताना चाहूंगा। आज जो हमारा चरित्र निर्माण हुआ है, आज मैं इस सदन में जिस वजह से पहुंचा हूँ - हमारे बचपन में जो हमें साहित्य मिलता था, मुझे याद है कि गोरखपुर में जो हमारी संस्था है - गीता प्रेस, वहां से कल्याण नाम की पत्रिका आया करती थी। हमारे पिताजी उसके नियमित ग्राहक थे। हम महीने वह कल्याण पत्रिका हमारे घर आया करती थी और हम बचपन में उस पत्रिका को पढ़ते थे। पूरे देश से जुड़ने का हमारे पास कोई और तरीका नहीं था। हमने उस कल्याण पत्रिका में ही पढ़ा कि तमिलनाडु में तिरुकल्लीकुंदरम नाम का कोई पक्षीतीर्थ है, तो हमें पूरे देश से जुड़ने का अवसर मिलता था और जो महीने की पत्र-पत्रिकाएं आती थीं, वे डाक से आया करती थीं। चिट्ठी आती थी और जैसे 'डाकिया डाक लाया' आदि बातें कही हैं, इस बात को मैंने बहुत अनुभव किया है। ऐसी डाक संस्था करीब-करीब समाप्त होने जा रही

थी। विकासयुक्त आधुनिकीकरण की वजह से, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से हमें लगता था कि यह कहीं विलुप्त न हो जाए, इस डाक संस्था को आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने एक नया रूप दिया। उसके साथ कई नए कार्यकलापों को जोड़ा गया, जिसका वर्णन हमारे लक्ष्मीकान्त जी और हमारे अन्य साथियों ने भी किया है। चाहे वह पासपोर्ट हो, डिजिटल पेमेंट हो, सेविंग बैंक हो या इंश्योरेंस हो, ऐसी कई तरीके की चीजों को पोस्ट ऑफिस से जोड़ा गया। आपने देखा होगा कि डेढ़-दो वर्ष पहले जब पूरे देश के पोस्टमैन को हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने उद्धोधन दिया था, उनको संदेश दिया था, मैं भी उस कार्यक्रम में मौजूद था। उस जमाने के जो हमारे पोस्टमैन आते थे, हमें चिट्ठियां पढ़कर सुनाते थे, उसका दूसरा रूप हमें देखने को मिला है। दो दिन पहले जब मैं बेंगलुरु आ रहा था, मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, तब एक स्कूटी पर एक बालिका आई। वह पीली ड्रेस में थी, तो मैंने कहा कि वह कौन है? वह मुझे कोई चिट्ठी देने आई थी। उसने मेरे घर के बाहर स्कूटी खड़ी की। महिलाओं को और जिनको भी इतना रोजगार मिला है, हम उसके साक्षी हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के विषय में हमने अपनी आंखों से देखा है कि आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की कल्पना थी, जिसकी वजह से उन्होंने पोस्ट ऑफिस की संस्था को बहुत आगे बढ़ाया है और आधुनिकीकरण के रूप में इसमें आज लाखों कर्मचारियों का एडिशन किया। आज पोस्ट ऑफिस में चहल-पहल दिखाई दे रही है। आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी की अपनी इस नई धरोहर को नए युग के साथ जोड़ने की हमेशा कल्पना रही है। हमारी हर धरोहर को हर जगह कैसे आधुनिकता के साथ जोड़कर उसका देश के लिए कैसे उपयोग किया जाए, यह विषय हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी का रहा है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैंने इसको विस्तार से देखा है। आदरणीय अश्वनी वैष्णव जी संजोग से मेरे पड़ोस के जिले के गांव के हैं, हालांकि लोग उनको ओडिशा का भी समझते होंगे, लेकिन उनका जो जिला है, वह मेरे पड़ोस के गांव में है। मैंने यह देखा है और हमने पहले भी स्टडी किया है, ये विषय हमारी कमेटी में चर्चा में भी आए हैं - उन्होंने बहुत मेहनत और विस्तार से इसका ध्यान रखा है, सतर्कता से ध्यान रखा है, जिम्मेदारियों का ध्यान रखा है और पोस्ट ऑफिस के अधिकारों का ध्यान रखा है कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और इस संबंध में नियमावली कैसे बने।

अब कुछ लोगों को बात-बात में इमरजेंसी दिखती है कि इमरजेंसी में क्या होगा। इमरजेंसी में क्या-क्या नहीं हुआ! हमारे चिदम्बरम साहब सामने बैठे हैं, उनको पता है कि क्या-क्या नहीं हुआ और किस-किस ने क्या किया है। उसमें आर्टिकल 356 का भी प्रावधान है, लेकिन हमारे आदरणीय मोदी जी ने दस वर्षों में कई लोगों की मांग होते हुए, यहां तक कि कांग्रेस ने मांग की थी कि वैस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, कई-कई जगहों से मांगें उठीं, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कांस्टिट्यूशन का ध्यान रखते हुए, आजादी का ध्यान रखते हुए, किसी भी राज्य में जरूरत होने के बावजूद एक दिन भी आर्टिकल 356 नहीं लगाया और संयम रखा। कांग्रेस ने बहुत बार धारा 356 का प्रयोग किया है। आज यहां पर खरगे साहब नहीं हैं। मैं समझता हूं कि आज तो उनको यहां पर होना चाहिए था, लेकिन वे नहीं हैं। उन्होंने बहुत बार धारा 356 का उपयोग किया, बिना कारण के किया। ...**(व्यवधान)**... हार-जीत तो चलती रहती है, उनको इतना डिप्रेसन में आने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना में उनको कॉन्सोलेशन दे दिया गया है। वह हमारी गलतियों से मिला है। आप यह समझिए कि वहां पर जो भ्रष्टाचार चल रहा था,

उसके कारण वहां की सरकार को जाना पड़ा। वहां पर यह कोई इनकी जीत नहीं है, यह उनकी हार है।...(व्यवधान)... तिवारी जी, आप आगे बढ़िए, आप पार्टी के अध्यक्ष बनिए। मैं समझता हूँ कि आपके नेतृत्व में और ज्यादा सीटें आएंगी।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No cross talk please. Please address the Chair.

**श्री लहर सिंह सिरौया :** सर, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि अधिकारियों ने वैष्णव जी के नेतृत्व में बहुत विस्तार से इस बात का ध्यान रखा है और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बिल के किसी प्राविजन में किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। यह सरकार बहुत ईमानदार सरकार है। यह सरकार कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने वाली है। आप इस बात पर विश्वास रखिए। आपको चोर की दाढ़ी में तिनका दिखता है, इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। आपके वहम का इलाज तो नीम-हकीम के पास भी नहीं है। आप यह वहम करना बंद करिए। हमारे मित्र शक्तिसिंह जी चले गए हैं। वे बार-बार ज़हर-ज़हर कर रहे थे। आप अब तो ज़हर उगलना बंद कीजिए। आप देश में बहुत ज़हर फैला चुके थे। उसको धोते-धोते हमको इतने वर्ष हो गए हैं, आप अब यह ज़हर फैलाना बंद कीजिए। आप जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, भ्रष्टाचार का ज़हर फैलाना बंद कीजिए। आप इस ज़हर को अपने तक रखिए। आप कम से कम इसको सदन में तो नहीं फैलाएं। आप किस ज़हर की बात कर रहे हैं? ...(व्यवधान)... जब मैं 5-7 साल, 10 साल का था, तब मैंने तिरुकल्लीकुंदरम, पक्षीतीर्थम का नाम राजस्थान के एक गांव में सुना था। यह किसकी वजह से सुना, यह डाक संस्था की वजह से सुना। डाक के अलावा हमारे गांव की कोई लाइफ लाइन नहीं थी, उस समय किसी चीज़ से हमारा सम्पर्क नहीं हो सकता था। हम उस ज़माने से आए हुए हैं। इस डाक संस्था को आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व से इसका आधुनिकीकरण करके इसे घर-घर में प्रचलित किया है। अगर आप मुझे बोलने का समय दें, तो मैं बहुत सी सेवाएं गिना सकता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने कई कानूनों को चेंज किया है, जैसा कि अभी हमारे घनश्याम जी बता रहे थे। मैं सारी बातों का ज़िक्र विस्तार से नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातों का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। इस समय पोस्ट ऑफिस में जो सेवाएं चल रही हैं, हम सब लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन जो आदमी गांव में रहता है, वह आज भी इसके सहारे जी रहा है। इस पोस्ट ऑफिस की संस्था को हमें बनाए रखना है। पोस्ट ऑफिस का अवांछित तत्व दुरुपयोग न करें। हमारे मित्र गोहिल जी आ गए हैं। मैं गोहिल जी का जिक्र कर रहा था। गोहिल जी ने मेरी भावनाओं को छेड़ा था, पुराने समय की बात कही, कबूतर की बात कही थी। गोहिल जी, आप तो मेरे मित्र हैं। मैं आपका बहुत आदर करता हूँ और आप भी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का आदर करते हैं, यह बात मुझे मालूम है। लेकिन यह ज़हर, ज़हर कहना बंद कर दीजिए। ज़हर उगलना बंद कर दीजिए, ज़हर आपके अंदर में हैं, उसको आप बचाइए, लेकिन ज़हर मत घोलिए। आज देश में इतना अच्छा वातावरण है, आज पूरे विश्व में हमारे भारत की प्रशंसा हो रही है। मैं कई लोगों से मिलता हूँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आज मैं इस सदन में खड़े होकर कह रहा हूँ और मैं कोई गलत बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ईमानदारी से यह बात कह रहा हूँ कि विश्व में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज जो भी फॉरेनर्स मुझे मिलते

हैं, जो एनआरआईज मुझे मिलते हैं, वे सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज विश्व में हमारे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। जब पूरा विश्व हमारा सम्मान कर रहा है, जब बड़े-बड़े राष्ट्राध्यक्ष हमारे मोदी जी के चरण छूने का प्रयास करते हैं, ऐसे समय में आप तो गुजरात के हैं, आप तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि मोदी जी कितने समर्पण भाव से देश की सेवा कर रहे हैं और आप बार-बार ज़हर की बात करते हैं। गोहिल साहब, मैं आपका मित्र हूँ और आपका भला चाहता हूँ।

**श्री शक्तिसिंह गोहिल :** मैं भी मोदी जी का भला चाहता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Members, please.

**श्री लहर सिंह सिरिया :** सर, मैं पूरे सदन से उम्मीद करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप पूर्ण बहुमत से इस बिल को पास करेंगे। यह बहुत अच्छा बिल आया है। इस बिल पर अधिकारियों ने काफी मेहनत की है, अश्वनी वैष्णव जी ने काफी मेहनत की है और प्रधान मंत्री जी ने कुशल नेतृत्व दिया है, इसलिए इस बिल का आदर करते हुए, इस बिल को पास करें और यही मेरा निवेदन है। मैं हमारे कांग्रेसी मित्रों को तेलंगाना की जीत के लिए बधाई भी देता हूँ कि आप वहाँ पर जीते हैं। मैं चिदम्बरम साहब का आदर करता हूँ और आपको भी बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अगले चुनाव में अपनी सीटें इम्पूव करें। आप आज 55 से 70-80 तक पहुंचे हैं, लेकिन आप जिस तरह से यह ज़हर घोलने की बातें करते हैं, जिस तरह से विघटनकारी बातें करते हैं, उससे कहीं आप 55 से 27 पर न आ जाएं। आप जनता का आदर करना सीखिए और जनता ने जो निर्णय दिया है, उसका आदर कीजिए। आप देश के प्रधान मंत्री का आदर करें और देश में जो अच्छा वातावरण बना हुआ है, उसे ज़हर से दूषित न करें। महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Bill brought by the hon. Minister regarding the Postal Services Act. Many hon. Members spoke about the history of the postal system, how it developed in India from 1766 onwards when the East India Company started that and afterwards, how the Act came in 1854 and then after Independence how it served the Indian people. This is a very important service which is required especially for the rural people. In the modern days, we have so many systems for delivering our goods or letters and everything. At the same time, in rural areas, we depend on the postal department. Without that, we cannot do it. The postal department, according to the Minister, is not only serving the delivery of letters but also implementing the hon. Prime Minister's programmes giving help to the poor people, bank accounts and everything. In the financial transactions also, they are going to do their service. It is very essential. Therefore, even though so many private people have come into the courier service, still we are proud of the postal department

-serving the common man especially, not only delivering letters as I said, but other activities also which they do.

I want to make one important suggestion to the hon. Minister. Most of the post offices still have old buildings. They are not at all fit enough. Hon. Minister, Sir, I want to make an important suggestion especially regarding the buildings. Post offices still have old buildings which are not at all in a good condition. We have to see in the modern days, how we can develop our system. We need a good atmosphere and the offices must be in a proper condition which they are not having. Secondly, in the rural areas, we have to give employment opportunities for those people through the postal department. That has to be taken seriously. Because of the courier system what is happening? They are the competitors. The postal department would lose the income. But if you modernize and make a quick delivery system, it would be more profitable. Take for example, the Speed Post. It is not a Speed Post. Even if you take Speed Post, it takes one week or ten days. That is happening there. Therefore, these are the issues which the people are facing. You have so many legal luminaries there. Postal department sends letters or confidential things in our legal system also. That authenticates whatever letters are sent. Secondly, regarding privacy, whatever he said about the interception of postal things for some kind of emergency or security thing, that may be there. I accept that and there may be fact in that also; but, at the same time, you have to maintain the confidentiality also because one person is writing a letter and you cannot intercept such kind of letters. There may be so many things but you are exposing his views to others. Using the emergency thing, you cannot intercept that. It is not fair. That is one important point which I am telling. Therefore, I would request our hon. Minister once again and I do not want to take much of time. The postal department is a great institution and India has good prestige. During earlier Prime Ministers' period also, so many reforms took place. I appreciate that. At the same time, I would request the hon. Minister to see that they give employment opportunities to the people in rural areas to serve there and also modernize their buildings and offices. These are the things which I am expressing. I am speaking on behalf of the A.I.A.D.M.K. Party. Thank you, Sir.

#### 4.00 P. M.

SHRI SANDOSH KUMAR P. (Kerala): Sir, I am so delighted on reading the name of this Bill, that is, The Post Office Bill, 2023. The hon. Minister did not attempt to change the name into Hindi. He could have done it like the Gati Shakti Vidyalaya or the *Nyaya Sanhita*. I am very thankful to him for retaining this English name which is

understandable to each and every Indian. Now, let me add a few more points. All initiatives to modernize the post office system, which is the largest in the world, are welcome, no doubt at all. But, we are not in a position to support this Bill in the existing form, especially, with the provisions of Clause 9 and its sub-clauses. This Clause 9 and its sub-clauses will turn our post office into Pegasus offices. That is the most important point which I would like to raise. Why do you link each and every aspect of life, each and every institution, with the security of the nation? The interest of security of the nation is a concept which can be misused. The Government have mis-used it many times. Please leave these poor post offices from the scope of operation of this concept. I would like to request the Minister to delete this particular provision. Secondly, to modernize the post office system, the postal system, we have to think of the unused postal land also. This Department is having acres of land in various parts of the country. If I say, for example, in Cochin, they have more than one acre of land which is unused. There must be provisions and plans to make use of this unused postal land. Thirdly, what about the private players in this field? The India Post is having just 15 percentage of this business in this area. The remaining 85 percentage is in the hands of private players. Do you have anything to control these private players? If you are going to implement this Clause 9, then secrecy has no value and privacy has no value. Then, obviously, these customers will go towards private players. There must be something to control the private players also. Even though, we are in favour of modernizing our postal system, this network, we have to take into account all these concerns. As far as the postal workers are concerned, hundreds of posts are still vacant. You have to take steps to fill up these vacancies as early as possible. Moreover, the wages of these grass-root level workers must be enhanced. These are the points which I would like to raise and I hope the Minister will take care of these things. Thank you, Sir.

**डा .अनिल सुखदेवराव बोंडे (महाराष्ट्र) :** उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने जो एक अच्छा काम किया है, उसमें यह महत्वपूर्ण है कि जो गुलामी की मानसिकता थी, उन्होंने वह पूरी गुलामी की मानसिकता बदलने का काम किया है, चाहे वह अमृत काल हो, सुभाष चन्द्र बोस जी की स्टैच्यू लगाना हो या 1898 में बनाया हुआ ...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Microphone, please.

**डा .अनिल सुखदेवराव बोंडे :** या 1898 में बनाया हुआ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट हो, मोदी जी को 1898 की उस गुलामी की मानसिकता से निकाल कर नया इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 लाना पड़ा।

महोदय, पोस्ट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हालाँकि अभी व्हॉट्सऐप है, ईमेल है, बैंक है, सभी चीजें हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए, गाँव के लोगों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और महिलाओं के लिए पोस्ट की बहुत ही अहमियत है। लेकिन आपको पता है कि 2004 से 2014 तक 600 डाकघर बन्द कर दिए गए, यानी डाकघर को बन्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 2014 से 2023 तक 5,000 नये डाकघर शुरू हो गए, यानी इस डाकघर को पुनर्जीवन देने का काम माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में हमारे काबिल मंत्री, अश्वनी वैष्णव जी के माध्यम से और 5,746 डाकघर खोले जा रहे हैं। अब के 5,746 और पहले बने हुए 5,000 - यानी इतने डाकघरों में गरीबों के लड़कों को, लड़कियों को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। डाकघर का काम सिर्फ चिट्ठियाँ पहुँचाना, पार्सल पहुँचाना ही नहीं है, उसमें 100 अन्य सुविधाएँ ऐड कर दी गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं यह मानता हूँ कि उसमें वित्तीय सुविधाएँ ऐड की गईं। वह सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे प्रधान मंत्री जी महिलाओं के लिए, हमारी मातृ शक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने की गारंटी हैं, उनकी आत्मसुरक्षा की गारंटी हैं, उनका आत्मसम्मान बढ़ाने की गारंटी हैं। अब इसमें डाकघर जब अहम भूमिका निभाता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान के अन्तर्गत प्रधान मंत्री जी "सुकन्या समृद्धि योजना" लाए। पिछले ही बजट में आए "महिला सम्मान बचत पत्र" या डाकिए द्वारा घर-घर जाकर खोले गए खाते महिलाओं को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं। जब किसी भी व्यक्ति को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, तो उसका आत्मसम्मान अपने आप बढ़ता है। आज हमारे तीनों राज्यों में भारतीय जनता पक्ष ने जो विजय हासिल की, उसमें सबसे बड़ा रोल नारी शक्ति का है। यानी पूरे भारत में पूरी नारी शक्ति का भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ऊपर है। यह इसलिए है कि हर महिला को, जिसको समझा जाता था कि वह दबी है, अबला है, उसको सबला बनाने का काम हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैंने मध्य प्रदेश में जाकर देखी। मैं वहाँ चुनाव के प्रचार में था। पहले ऐसा होता था कि हसबैंड महिला को बोलता था कि यहाँ का बटन दबाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर तो मैंने देखा कि महिला ने उसे बोला, बेटे को भी बोला कि अगर बटन दबाना है, तो कमल के फूल का ही दबाना है, अपने हसबैंड को भी उसने मजबूर किया कि घर में आना है, खाना खाना है, तो कमल का ही बटन दबाना पड़ेगा। तो नारी शक्ति की यह पहल जो हो रही है, यह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दी गई फाइनेंशियल सिक्योरिटी के माध्यम से हो रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आरडी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होता है। आरडी का प्रतिनिधि हर महीने घर-घर जाकर आरडी के माध्यम से पैसे जमा करता है, 200 रुपये, 500 रुपये या 1,000 रुपये जमा करता है और उसके बाद वह पैसा प्रॉविडेंट फंड या पीपीएफ में जमा किया जाता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने 4 वर्षों में 8 करोड़ खाते खोल कर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। यानी इसका फायदा किसको होता है - गरीब को होता है, महिलाओं को होता है, किसानों को होता है, किसान की मजदूरी करने वालों को होता है, विश्वकर्मा लोगों को होता है। इसका फायदा कोई इंडस्ट्री वाला नहीं ले रहा है, इसका फायदा कोई बड़ा अधिकारी नहीं ले रहा है, बल्कि जो सबसे नीचे ग्राउंड लेवल पर रहने वाला आदमी है, उसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बेनिफिट हो रहा है। यह डाकघर का विधेयक सिटिजन

सेंट्रिक है। मुझे एक सांसद होने के नाते अमरावती जिले में एक एरिया में जाने का सौभाग्य मिला। अमरावती जिले में जवाद नगर का एरिया है, जहाँ झुग्गी-झोंपड़ी का एरिया है, वहाँ पर डाकघर खोला गया। मैंने डाकघर पहले बचपन में भी देखा था। डाकघर ऐसा रहता था कि अंधेरे रूम में डाकघर चलता था, वहाँ ठप्पे मारे जाते थे और डाकघर की नौकरी करने वाला भी दिन-रात वही काम करके परेशान होता था, लेकिन मैंने जो डाकघर देखा, वह स्मार्ट डाकघर देखा। स्मार्ट डाकघर - यानी वह टोटली कम्प्यूटराइज्ड था, टोटली डिजिटलाइज्ड था और बैंक के जैसा था। वहाँ बैठने की अच्छी सुविधा थी, वहाँ एअर कंडीशनर लगा हुआ था, वहाँ की तिजोरी अच्छी थी। जब अच्छी तरह से डाकघर का निर्माण होता है, तो इसका मतलब है कि इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है। यह ग्रामीण इलाकों में भी हो रहा है। हमारे डाकघर का इतना बड़ा नेटवर्क है और हमारे प्रधान मंत्री जी, मंत्री जी की कल्पनाशक्ति भी इतनी आगे है कि मुझे आशा है कि कल को डाकघर के माध्यम से एमेज़ॉन जैसा डिलीवरी सिस्टम भी शुरू हो जाए। डाकघर के माध्यम से लोगों को उनके घर तक कोई भी सामान पहुंचाने की सुविधा का निर्माण भी हो सकता है। इसे लेकर विरोधी पक्ष के सम्माननीय सांसदों ने दिक्कत पेश की है कि इसमें पार्सल फोड़ा जाएगा। इससे किसे डर है? जो गलत काम करने वाले हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उन्हें यह डर रहना चाहिए। कुछ-कुछ डर बहुत अच्छे होते हैं। जो दहशतगर्दी करते हैं, उनमें सरकार का कुछ-कुछ डर निश्चित ही रहना चाहिए। सर, क्या आपको पता है कि Bacillus anthracis नाम के बैक्टीरिया के माध्यम से बीमारी फैलाने का काम भी envelope के द्वारा किया गया था। Bacillus anthracis के बैक्टीरिया को पोस्ट के लिफाफे से भेजने का काम वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी किया गया था। आज के जमाने में जो भी पार्सल्स होते हैं, उनका एक्स-रे भी होना चाहिए, उनकी स्कुटनी भी होनी चाहिए और जो suspected हैं, उन्हें खोलना भी चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए, कम्युनिटी की सुरक्षा के लिए यह इम्पोर्टेंट पहल है। मुझे लगता है कि इससे किसी की प्राइवैसी डिस्टर्ब होने की संभावना नहीं है। जो देश के विरुद्ध गलत काम कर रहा है, यह उसे ही गलत लग सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण बिल, जिसे revolutionary बोल सकते हैं, जो पोस्ट डिपार्टमेंट की पूरी लाइफ में, 1898 के बाद से पहली बार आया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी तथा माननीय मंत्री, अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा लाए गए इस बिल का सभी को समर्थन करना चाहिए, मैं ऐसी विनती भी करता हूँ, धन्यवाद, जय हिन्द।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, hon. Shrimati Priyanka Chaturvedi.

**श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र) :** सर, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण बिल पर बात करने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। सवा सौ साल बाद एक रिफॉर्म आया है, हम उसका स्वागत करते हैं। पोस्ट ऑफिस बिल सवा सौ साल बाद आ रहा था, तो मेरी उम्मीद यह थी कि हम बात करेंगे कि किस तरीके से उसका मार्केट शेयर बढ़ाएंगे, उसमें किस तरीके का मॉडर्नाइजेशन करेंगे, किस तरीके से सर्विसेज़ को पुख्ता करेंगे, किस तरीके से reallocation of assets करेंगे, किस तरीके से हम घर-घर तक पोस्ट ऑफिस पहुँचा पाएंगे - इस बिल के माध्यम से यही उम्मीद थी। But, unfortunately, clause 9 और clause 10 - मैं मानती हूँ कि हम रिफॉर्म्स

की आड़ में ऐसी क्लॉजेज़ डाल रहे हैं, जो surveillance से कम नहीं हैं। जब हमारे फ़ॉस पर State sponsored surveillance का एक मैसेज आया था, तो उसे लेकर मैंने एक महीने पहले माननीय मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी। इसका मतलब है कि एक सिटिंग मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट पर एक State sponsored surveillance attack हो रहा है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, बल्कि आज तक मुझे उनकी चिट्ठी का जवाब भी नहीं मिला है। सेम चीज़ अब हम यहाँ पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में भी देख रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में surveillance, इसकी आड़ में surveillance! सर, interception क्या-क्या कह रहा है, under which rules किन-किन चीज़ों पर interception कर सकते हैं - security of the State, friendly relations with foreign states, public order, emergency, public safety, contravention of the provisions of this Bill or any other laws. इमरजेंसी को गाली देने वाले आज इमरजेंसी की आड़ में आपके पार्सल्स का interception कर सकते हैं।

दूसरी बात क्लॉज़ नं. 10 के संबंध में है कि कोई liability ही नहीं है। अगर सर्विसेज़ में दिक्कत है, फॉल्ट है, तो कोई liability ही नहीं है। यह liability कौन डिसाइड करेगा? उस बिल में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार डिसाइड करेगी, तो इस बिल में हम यह क्यों नहीं कह सकते हैं कि there will be liabilities if there is lack of services. मुझे इस बात से बड़ी दिक्कत है कि सरकार डिसाइड करेगी कि किस तरीके से liabilities डिसाइड होंगी। डायरेक्टर जनरल साहब और उनके ऑफिसर्स को खुली छूट दी जा रही है कि interception के नाम पर वे गुड्स को डेमेज भी कर सकते हैं, लैटर्स भी खोल सकते हैं, privacy का हनन भी हो सकता है, पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सर, मैं केवल एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ और यह उम्मीद करती हूँ कि ये इसको पॉजिटिवली लेंगे और इस पर काम करेंगे। मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहती हूँ कि सर्विलेंस हो, इंटरसेप्शन हो, नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में अपोजिशन को दबाने का काम किया जाए, लोगों को चुप कराने का काम किया जाए, यह डेमोक्रेसी के खिलाफ है और हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। इन दो क्लॉजेज़ के अलावा, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसमें किसी तरीके का अमेंडमेंट लाया जाएगा। Thank you so much.

**डा. अनिल अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) :** महोदय, Indian Post Office Act, 1898, जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए The Post Office Bill, 2023 देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधान मंत्री, आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे माननीय मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव द्वारा लाया गया है। इस बिल में बहुत सारी विशेषताएं हैं और आज यह आवश्यक है कि हमारे जो पोस्ट ऑफिसेज़ हैं, वे बेहतर काम करें और उनकी पहुंच दूर-दूर तक हो। मेरे मित्र, श्री शक्तिसिंह गोहिल जी ने जब अपने भाषण की शुरुआत की, तो उन्होंने यह कहा कि सुदूर गांव में तो पोस्ट ऑफिस ही काम करेगा, उसके अलावा और कई जो सर्विसेज़ देने वाले लोग हैं, वे काम नहीं करेंगे। यह सत्य बात है, लेकिन वे यह बताना भूल गए या शायद उन्होंने जान-बूझकर इस बात का उल्लेख नहीं किया कि जब उनकी सरकार थी तो पोस्ट ऑफिसेज़ बंद हो रहे थे। एनडीए की सरकार, जो आज इस काम को कर रही है, वह उस समय यूपीए की सरकार ने नहीं किया। आज उसके उलट स्थिति है। आज नये-नये पोस्ट ऑफिसेज़ खुल रहे हैं और उनको इस प्रकार से संचालित किया जा रहा है कि देश की जनता उनके ऊपर विश्वास करे।

हमारे कुछ मित्रों ने क्लॉज 9 और क्लॉज 10 पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है। आज देश की पूरी जनता माननीय मोदी जी पर विश्वास कर रही है, आप भी उन पर विश्वास करना शुरू कीजिए, नहीं तो आपकी जो स्थिति है, वह उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी। आप यह क्यों मानकर चलते हैं कि इसमें किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत होगी? आज मोदी की गारंटी है, जिसको हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व मानता है। आज गरीब आदमी के खाते पोस्ट ऑफिसेज़ में खुल रहे हैं और उनमें बहुत बड़ी मात्रा में रकम है। महोदय, आज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से गांव-गांव तक बैंकिंग सर्विसेज़ पहुंच गई हैं। ये सर्विसेज़ न केवल गांव के व्यक्ति तक पहुंच गई हैं, बल्कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपके घर तक पहुंच रहा है। उसमें बहुत बड़ी मात्रा में बहुत अच्छे अकाउंट्स खुले हैं और उसकी बहुत अच्छी सर्विसेज़ हैं। उसी का एक रिजल्ट यह है कि इतने अल्पकाल में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक मुनाफे में आना शुरू हो गया है। यह दिखाता है कि सरकार की क्या प्रतिबद्धता है। एक समय था जब एक सरकार ने महिलाओं को पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज़ देनी शुरू की, महिलाओं के लिए बहुत जोर-जोर से प्रचारित किया गया, लेकिन सरकार का ध्यान सर्विसेज़ की ओर नहीं था, इसलिए उसमें घाटा हुआ और अंततः उसे बंद कर दिया गया। आज जहां यह बिल हमारी सरकार का स्पष्ट मैसेज दिखाता है कि हमारी किस प्रकार से गरीब आदमी के लिए प्रतिबद्धता है, वहीं यह स्पष्ट भी करता है कि किस प्रकार से सरकार हर उस जन का खाता खुलवाना चाहती है, जिसके पास बैंक नहीं है। उसका इतना बड़ा फायदा हुआ है कि आज देश में भ्रष्टाचार मिनिमम हो चुका है और इसको धीरे-धीरे हम जीरो की ओर ला रहे हैं। मेरे कुछ मित्र इस पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। वे शायद उस बात को भूल गए जब देश के एक बड़े प्रधान मंत्री ने कहा था कि मैं 100 रुपये भेजता हूं तो केवल 15 रुपये पहुंचते हैं, 85 प्रतिशत का घोटाला होता था। आज इन बैंक्स के खुलने से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने से यह घाटा पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे विपक्षी साथियों ने इसमें किसी न किसी प्रकार से रोड़े अटकाने की अपनी पुरानी चाल पर काम करना शुरू किया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपने विपक्षी साथियों से भी यह अनुरोध करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कराएं। देश की जनता समझ रही है कि आप लोग किस प्रकार से उनके अच्छे कार्यों में रोड़े अटका रहे हो और उसी का परिणाम तीन दिन पहले आपको देखने को मिला, पुनः आपसे अनुरोध है कि इस बिल का समर्थन करें, धन्यवाद, जय-हिन्द।

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) :** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मुझे बोलने का मौका मिला, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार का हमेशा यह आग्रह रहा है कि देश की जनता के लिए ease of living हो, बिज़नेसमैन के लिए ease of doing business हो। इस देश की प्रगति में हर नागरिक contribute करे और इसी के चलते यशस्वी प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे काबिल मंत्री आदरणीय अश्वनी वैष्णव जी के मार्गदर्शन में हमारी मिनिस्ट्री ने कई रिफॉर्म्स का काम प्रारम्भ किया है और इसी रिफॉर्म के चलते हमने यह पाया कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो व्यवस्था पोस्टल विभाग की थी, आज बदलते समय के साथ नागरिकों की आकांक्षा और अपेक्षा के

हिसाब से यह नेटवर्क पूरे भारत में सबसे बड़ा ट्रस्टवर्दी नेटवर्क बना है। भारत सरकार का अगर कोई चेहरा है, अगर कोई नेटवर्क है, जो doorstep पर दिखता है, तो वह पोस्ट विभाग है। इस पोस्ट विभाग के नेटवर्क को हमने हमारी पार्टी की फिलॉसिफी के हिसाब से, जो हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिये हैं, जो अंत्योदय की भावना है, उस भावना से आगे बढ़ाया है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का उदय करने की भावना के साथ सरकार काम करे, हमने यही सोचकर अंत्योदय की भावना से ट्रस्टवर्दी नेटवर्क बनाया है। बदलते समय के साथ हमने बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। 1898 के इस ब्रिटिश राज के कानून को बदलना इसी रिफॉर्म का एक भाग है। जब यह कानून बनाया गया था, तब हम सब British colonial rule में थे, उनकी यह हैबिट थी, उनका कंट्रोल करने का माइंडसेट रहा। After Independence, 70 साल तक इस देश ने कंट्रोल करने का माइंडसेट महसूस किया। हमने इस कानून में सुधार लाकर इस नेटवर्क को लास्ट माइल कनेक्टिविटी देकर last mile में बैठे उस आदमी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से socio-economic change का एक बहुत बड़ा टूल बना दिया। हमने इस नेटवर्क के चलते, जो पहले केवल मेल और लैटर्स देने का काम करता था, आज उस नेटवर्क से banking for all, insurance for all और पूरा transparently काम किया है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अगर transparently गवर्नमेंट को काम करना है, तो टेक्नोलॉजी को आधार बनाना पड़ेगा। इसी टेक्नोलॉजी को आधार बनाकर हमने इस नेटवर्क के चलते हमारी citizen-centric सेवाएं प्रदान करना प्रारम्भ किया है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ कि citizen centric की सेवाओं से हमने क्या-क्या काम किए हैं? हमारे पास 1,64,000 पोस्ट ऑफिस हैं। इन 1,64,000 पोस्ट ऑफिस में चार करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अकाउंट ओपन किये गये हैं। इस अकाउंट में हर लाभार्थी को, जिसका राइट है, उसे बेनिफिट सीधे उसके अकाउंट में मिलता है। हमने आधार का प्रोविजन किया है, हम पेन्शन देते हैं। मैं इस बारे में कई बातें बता सकता हूँ, लेकिन कुछ साथी सांसदों ने सेक्शन 9 और 10 के बारे में अपने कुछ विचार, कुछ सजेशन रखे हैं। मैं सेक्शन 9 के संबंध में यह बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 9 केवल नेशनल सिविलिटी और पब्लिक सेफ्टी के लिए ही है। यह सेक्शन 9 नया नहीं है, यह सेक्शन पुराने एक्ट में आपके समय में भी था, लेकिन हमने जनता के हित में, देश के हित में उसको simplify किया है। उस समय स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं थी, तो हमने उस सर्विस को आधार बनाकर लिया है। जो liability की बात करते हैं, तो हमारे पास service rules हैं। अगर कोई विलफुली कुछ mischief करता है और ऐसा काम करता है, तो उस पर हमें conduct rule के हिसाब से punish करने का प्रावधान भी है। मैं यह मानता हूँ कि आपके समय में 660 पोस्ट ऑफिस बंद हो गए थे, लेकिन हमने 5,000 नए खोले हैं और आगे 5,746 पोस्ट ऑफिस नए खुल रहे हैं। एक तरीके से नए बैंक खुल रहे हैं। हर पांच किलोमीटर में पोस्ट ऑफिस बैंक की तरह सेवा देगा और इश्योरेंस का काम करेगा, हर सिटिजन को citizen centric सेवा देने की कोशिश करेगा। आज हम जो बिल लेकर आए हैं और हमने जो reforms किए हैं, उनके संबंध में मैं आपके सामने कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। जब हमने parcel reforms शुरू किए, करीब-करीब 36 activities थीं। आज हमारे parcel reforms बहुत अच्छे हो गये हैं। अभी-अभी एक सांसद जी amazon के बारे में बोल रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि amazon ने ऑलरेडी हमारे साथ एमओयू किया है और आने वाले समय में north-east और पूरा हमारा West Bengal का जो रीजन है, सर्कल है, उसमें amazon भी हमारे साथ future में काम करेगा। यह सब जानते हैं कि

आने वाले समय में पोस्टल नेटवर्क की strength क्या होगी। हमने प्रसादम योजना शुरू की है, हमने गंगाजल योजना शुरू की है। हर कस्टमर अपने घर में बैठकर कहीं से भी बाबा विश्वनाथ का, सोमनाथ का, द्वारका जी का प्रसाद मंगाना चाहता है, तो मंगवा सकता है। कोविड के समय में हमारे विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है। आज हम जो सेक्शन लेकर आए हैं, वह इसी के कारण ही लेकर आए हैं, ताकि अगर future में national security में कोई वायरस आ जाता है या कुछ illegal drugs हैं, opium है, ऐसा अगर कुछ transport होता है, तो उसको देखने का अधिकार सरकार का है, क्योंकि यह public safety के लिए है। आने वाले समय में ये रूल्स बनेंगे। उन रूल्स में भी parliamentarians अपने सजेशन दे सकते हैं। हम केवल एक्ट लेकर आए हैं। यह एक्ट नया नहीं है। जो आपका एक्ट था, उसको हमने simplify किया है। अब मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

**श्री मिथलेश कुमार (उत्तर प्रदेश) :** उपसभाध्यक्ष जी, आज आपने मुझे पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 के समर्थन में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महोदय, यह बिल लाकर हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा और यहां पर बैठे माननीय मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार के पुराने बिल का खात्मा किया गया है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मित्रो, हमारे देश में डाकघर का बहुत बड़ा महत्व है। अभी सबने बताया और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूँ कि हम लोग देहात क्षेत्र से आते हैं, तो देहात में डाकघर का बहुत बड़ा उपयोग होता है, क्योंकि वहां पर WhatsApp और ईमेल के माध्यम से सूचनाएं बहुत कम पहुंच पाती हैं। आकर-जाकर, साइकिल से, मोटर साइकिल से जब पोस्टमैन पत्र लेकर जाते हैं, तो उससे व्यावहारिक समानता और सामाजिकता भी बढ़ती है कि वे आकर मिले, चाय पी और हाल-चाल पूछा कि गांव में क्या हो रहा है। हमारे देश में भाई-बहनों का एक बहुत बड़ा त्योहार होता है - रक्षा बंधन। रक्षा बंधन में हमारी बहुत सी बहनें किसी कारणवश नहीं पहुंच पाती हैं, तो उनकी राखी डाक के माध्यम से पहुंच जाती है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वार्ड में, न्याय पंचायत स्तर पर एक डाकघर जरूर खुलवाएं, जिससे उनकी भावनाएं आगे पहुंचती रहें।

दूसरे, अभी माननीय मंत्री जी ने बैंकिंग वाली बात बताई है। चार करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से जो पैसा डाकखाने से मिलता है, यह बहुत सराहनीय काम है, क्योंकि उनको सीधा पैसा मिलता है। पूर्व में जो सरकारें हुआ करती थीं, उनके माननीय प्रधान मंत्री कहते थे कि हम एक रुपया भेजते हैं, तो पंद्रह पैसे पहुंचते हैं।

(सभापति महोदय पीठासीन हुए।)

आज माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में हर व्यक्ति को सीधा पैसा डीबीटी के माध्यम से मिल रहा है। आपने जिस तरीके से पासपोर्ट बनाने का काम डाकखाने को दिया है, यह अपने आप में एक बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि हमें मालूम है कि यह मंडल स्तर पर होता था। हम शाहजहांपुर रहते थे और बरेली में पासपोर्ट ऑफिस जब तक पहुंचते थे, तब तक वह बंद हो

जाता था या वहां पर दलालों के माध्यम से पासपोर्ट बना करते थे। बहुत से नवयुवक और महिलाएं इससे वंचित रहती थीं। यह कदम बहुत ही सराहनीय है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा हर क्षेत्र में विशेष रूप से काम किया जाता है। इसमें नई क्रांति लाकर हर जगह डाकखाने स्थापित किए जाएंगे। इसलिए इस बिल का मैं समर्थन करता हूँ, धन्यवाद।

SHRI SANJEEV ARORA (Punjab): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on this important Bill, which affects almost all of our population and I appreciate bringing an Amendment after 125 years. However, I have some suggestions and some apprehensions on the Bill, which I would like the hon. Minister to look into them and see if these can be changed. In the Bill, it is mentioned that any change can be made through rules. So, even if it can be made through rules, it may please be done.

First of all, I suggest that post offices should be given a level-playing field *vis-a-vis* other companies like FedEx, Blue Dart, etc. So, some similar legislation should be brought for them also, so that there is a level-playing field for all the agencies.

Secondly, many Members have spoken regarding interception. But, what I feel is that there are no safeguards from interception. So, I request that the powers for the same should be given only to high-ranking officials to avoid arbitrary action against individuals. The former Prime Minister, hon. Shri Atal Bihari Vajpayee had not got the Bill passed only on this issue in 2002. So, I request that this point may be taken care of. Further, Consumer Protection Act does not apply to post offices. It applies to Railways, which is one of your Ministries, to the oil companies and many other organizations. So, that should be applied to post offices also to safeguard consumers' interest.

The Bill says that it does not involve recurring or non-recurring financial expenditure whereas Post Offices regularly get budgetary support, which is fine but is contradictory to the facts presented in the Bill. I do not see what is behind the lines. Lastly, my suggestion is, my personal view is that post office should be involved in B2B logistics also, as much as possible. There are lands available with all the post offices. They can be converted into warehouses because now online ordering is very popular. So, if these companies open the warehouses in the post offices, it will bring them nearer and the time of order delivery will be quicker. Plus, it will increase the income of post offices so that it becomes self-sufficient.

And, last of all, post offices are being used for banking purposes, which is good. But these days, everybody wants to invest money in stock markets. So, my advice is, let us allow post offices to deal in mutual funds. Sir, there are some people

who are tax-savvy; some are non-tax savvy. So, the non-tax savvy can go to post office and still invest in mutual funds which will ultimately go to stock markets and which will help in growth of the markets as a whole.

Thank you. I support this Bill other than the points which I have made and request you to see if some changes can be made there. Thank you, Chairman Saheb.

MR. CHAIRMAN: Shri Rambhai Mokariya.

**श्री रामभाई हरजीभाई मोकरीया (गुजरात) :** सर, मैं डाकघर विधेयक, 2023 के बारे में बोलना चाहता हूँ और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। मोदी जी की अगुवाई में अपने अश्वनी वैष्णव जी जो बिल लेकर आए हैं, यह बहुत अच्छी बात है। मैं पहले कुरियर कम्पनी से जुड़ा हुआ था, तो मुझे कुरियर का भी एक्सपीरिअंस है और पोस्ट ऑफिस का भी एक्सपीरिअंस है। मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब 2006 में यूपीए सरकार के समय में बिल आया था, तब इसको समझाने में मुझे काफी दिक्कत आई और 25-30 लाख लोग पूरे इंडिया में काम कर रहे थे। उस समय वह सुधार बिल फ्रीज़ हो गया था। इसके पहले मोदी साहब, जो गुजरात के तत्कालीन मंत्री थे, वे मेरे एक फंक्शन में आए थे और उन्होंने पूछा था कि सबसे पहला कुरियर या पोस्ट कौन था, यह क्वेश्चन उन्होंने किया था। तब किसी को इसके बारे में पता नहीं था, उस समय मोदी साहब ने बताया कि भगवान राम की रिंग, जो वीथी है, उसको लेकर सीता जी को देने के लिए गए, जो गए, वह मारुति नन्दन मतलब मारुति भगवान, वह सबसे पहली कुरियर सर्विस थी।

दूसरी बात मुझे यह बतानी है कि कुरियर कम्पनी — जब पोस्टल डिपार्टमेंट में काफी टाइम पहले स्ट्राइक हुई थी, तब मैं पोस्ट ऑफिस में मैनेजर के पास गया और मैंने उससे कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, तो वह बोला कि आप क्या कर सकते हैं, आप तो मेरे अपोजिशन में हैं। मैंने बोला कि ऐसा नहीं है। मैं आपका पूरक बनना चाहता हूँ। जब तक स्ट्राइक रही, तब तक मैंने करीब 8-10 दिन तक टेलीग्राम और जो इम्पोर्टेंट डाक्युमेंट्स थे, उनके लिए बिना चार्ज लिए, उनको सर्विस दी। बाद में मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि मुझे आप चार्ज दो, तो उसने कहा कि क्या चाहिए। मैंने कहा कि मुझे सर्टिफिकेट दे दो कि मैंने आपकी हेल्प की है। जब अमेंडमेंट बिल आया तब उस सर्टिफिकेट से मुझे काफी सहूलियत रही।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरियर कम्पनी में लाखों-करोड़ों लोग काम करते हैं। मैं आपको 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय पोस्ट्स में सुधार नहीं था, कम्पीटिशन नहीं था, जैसे एयर इंडिया एक ही था, इंडियन एयरलाइन्स था। बाद में बाकी कम्पनीज़ आई तो सभी में सुधार हुआ, वैसे ही पोस्ट में भी हो रहा है। पहले एक ही पोस्ट सर्विस काम कर रही थी, अब इसमें काफी कुछ सुधार आया है। इसमें काफी लोगों को रोजी-रोटी भी मिलती है। पोस्ट में डेवलपमेंट भी हुआ है। मैं एक बात का और जिक्र करना चाहता हूँ कि जब सूरत में प्लेग आया था, उसी समय वहाँ के बड़े-बड़े लोग अपना घर-बार छोड़कर अपने विलेज में जा रहे थे। उस समय हमने ऑल ओवर इंडिया से फ्री ऑफ कास्ट दवाइयां मंगाई और मेरे साथ जो लोग 1,500 रुपए में, 2,000

रूपए पगार में काम कर रहे थे, उन्होंने पूरे सूरत में एकदम फ्री में, निशुल्क दवाइयां बांटी थीं। मेरा यह कहना है कि प्राइवेट कंपनी भी समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम कर रही है। जहाँ तक सिक्युरिटी की बात है, जिसके लिए अपोजिशन वाले बोलते हैं, वह सिक्युरिटी होनी जरूरी है, क्योंकि ऐसे काफी हादसे पहले हो गए थे कि पार्सल बम बनाते हैं और प्राइवेट कंपनीज में, पोस्ट में पार्सल जाते हैं। जिसके घर पर पार्सल जाता है, जब वह टच करता है, तो एक्सप्लोजन हो जाता है, कुछ हादसा हो जाता है। यह बिल आया है, यह सही बात है, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि देश की सेफ्टी पहले होनी चाहिए, बाद में सब बातें हों। जब मोदी साहब आए थे, तो कुरियर कंपनी वाले लोगों को उसी टाइम बताया था कि जो बॉर्डर एरिया है, ज्यादातर बॉर्डर एरिया में जो देश विरोधी गतिविधि होती है, आप उसमें केयर कर सकते हैं और निजी जाँच कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ इल्लिगल आता है, तो हम पुलिस को या गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे कभी जाली नोट चला जाता है या कुछ और होता है। पोस्ट में इतना काम नहीं हो पाता है, हम वह काम प्राइवेट में कर सकते हैं। वे देश की सेवा का काम भी करते हैं। आज काफी लोग देश की सेवा का काम कर रहे हैं। वे किसी भी इन्वेस्टमेंट के बिना, 20 हजार रुपये से लेकर 25 लाख रुपये हर महीने कमाते हैं, टैक्स पे करते हैं। यह एक कंपीटीशन का जमाना है। प्राइवेट कुरियर और पोस्ट के साथ जो कंपीटीशन हो रहा है, उससे सर्विस में भी सुधार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कुरियर कंपनी इनका कोई बिजनेस खा जाती है। जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तब कुरियर कंपनीज भी प्रधान मंत्री केयर फंड में काफी लोगों के ड्राफ्ट्स औप चैक्स इत्यादि फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाती थीं, रक्षा बंधन के समय मिलिट्री के लोगों की बहन की जो राखी होती है, उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वे काफी सामाजिक काम भी करते हैं। जैसे पहले एयरलाइंस में एक-दो कंपनीज थीं, अभी काफी एयरलाइंस हो गई हैं, टेलीफोन में पहले एमटीएनएल और बीएसएनएल था, लेकिन इस कंपीटीशन के जमाने में अब काफी कंपनीज आ गई हैं। पहले जब हमें फोन लेना होता था, तो पैर पर पानी आ जाता था, लेकिन आज जब हम फोन करते हैं कि मुझे फोन लेना है, तो दस कंपनीज आ जाती हैं। इसका मतलब है कि तंदुरुस्त कंपीटीशन हो रहा है। पोस्ट में काफी कुछ सुधार भी हो रहा है। उसकी तन्ख्वाह, भत्ते में भी काफी सुधार हो गया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक रूल है कि पोस्टमेन फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर नहीं जाते हैं, इसलिए नीचे एक डिब्बा होना चाहिए। आप पोस्ट बुक जैसा कुछ रखिए, वे वहाँ पर दे देंगे। कुरियर वाले यदि लिफ्ट बंद भी है, तो भी सात माले पर पहुंच जाते हैं। इसलिए पोस्ट में भी यह होना चाहिए कि कहीं पर भी हो, तीसरी मंजिल हो, पाँचवीं मंजिल पर हो, पर पोस्ट पहुंचनी चाहिए। मेरी आपसे इसमें अमेंडमेंट करने की एक यह रिक्वेस्ट है, बाकी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यह बिल लेकर आए हैं, यह हमारे लिए काफी खुशी की बात है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, Shri Ashwini Vaishnav, to reply to the discussion.

THE MINISTER OF RAILWAYS; THE MINISTER OF COMMUNICATIONS; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI ASHWINI VAISHNAV): Thank you, Sir.

I thank all the hon. Members who participated in this very lively debate. Many important issues have been raised. Some of the issues are basically common. Hon. Members have raised points regarding privatization of post, PSU, interception, liability, etc. Some hon. Members also raised issues regarding continuity of the law. I would like to cover all the points one by one and begin with the point about interception.

Hon. Chairman, Sir, in a society which is as complex and diverse and the times which are as difficult as they are, it is very important that interception provision is kept in the law for purposes of national security. What I would like to tell hon. Members through you, Sir, is that just like constitutional provisions are framed, where a right is given but there are certain carve-outs, similarly, in this law, very clearly laid out carve-outs, have been kept. Many hon. Members asked as to what procedure would be followed for the interception. I would like to inform all the hon. Members that interception is something which has been there in the previous Act for many decades, and the procedure also has been very well-established. As and when we frame the rules, rules will be laid before the Parliament and the procedure for interception will be introduced through the rules. It will be very fair and transparent. There is absolutely nothing to worry about. The second point which was raised by many hon. Members was about the liability of the Post Office employees. Even now, Mr. Chairman, Sir, the liability of the employees exists whenever there is negligence or a wilful act by which the services, which are supposed to be given, are not given. The current Bill, which is presented today, also provides for the liability in those cases. The clause regarding no liability is given because post office people are, basically, public servants and that is why that clause has been given.

The third major point which was raised by many hon. Members was about the employment, PSU and privatisation. There is absolutely no question of privatisation of the post offices. We have very categorically said it और मैं एक बार फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन के फ्लोर पर कह रहा हूँ कि इसमें पोस्ट ऑफिसेज़ को प्राइवेटाइज़ करने का कोई प्रावधान नहीं है और सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। इस बिल में जो प्रावधान लाया गया है, वह बेसिकली पोस्टल नेटवर्क की सर्विसेज़ का विस्तार करने के लिए है। पहले केवल मेल, डाक, इसके लिए पोस्ट ऑफिस के कानून के अंदर प्रावधान था, अब उसका विस्तार करके उसमें बाकी कई तरह की सर्विसेज़ को लाया जा सकता है। जैसा कई माननीय सदस्यों ने भी ज़िक्र किया, आज पोस्ट ऑफिसेज़ प्रैक्टिकली बैंक बन चुके हैं, बैंकिंग सर्विस की तरह काम कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में करीब 26 करोड़ एकाउंट्स हैं और उनमें 17 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिटेड हैं। एक साधारण परिवार के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे वह अपनी सेविंग्स को सेफ रख सके। वैसे ही 'सुकन्या समृद्धि योजना' है, जिसमें बेटियों के लिए जिदगी भर की एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टैबिलिटी बनती है, फाइनेंशियल

स्ट्रेंथ बनती है, उसमें 3 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें 1,41,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए हैं। इसी तरह से 21 लाख महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। जैसा कई माननीय सांसदों ने कहा, पासपोर्ट सेवा केन्द्र के कारण उनको पासपोर्ट बनाने में आज जितनी सुविधाएँ मिली हैं, यह एक ऐसी सर्विस है, जो और बढ़ेगी। इस बिल के आने से इसको एक लीगल फ्रेमवर्क मिलेगा। वैसे ही आधार एनरॉलमेंट के लिए 13,500 सेंटर्स हैं। सबसे बड़ी बात, जैसा एक और माननीय सांसद ने कहा था कि एक समय था जब भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को कहना पड़ा कि हम 100 रुपए भेजते हैं, तो केवल 15 रुपए जमीन तक पहुँचते हैं, जबकि आज माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी एक बटन दबा कर 100 रुपए भेजते हैं, तो पूरे के पूरे 100 रुपए हमारे साधारण नागरिक के खाते में पहुँचते हैं। इसमें पोस्ट ऑफिस का भी बहुत बड़ा रोल है। पोस्ट ऑफिस का जो पेमेंट बैंक है, इसके जरिए करीब 3.5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की यह सुविधा मिल रही है। 3.5 करोड़ लोगों के एकाउंट्स में एक बटन दबाते ही पैसा पहुँच जाता है।

माननीय श्री शक्तिसिंह गोहिल जी ने कहा था कि आपने 'अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट' क्यों बंद कर दिया। अगर आप थोड़ा सा अपना फैक्ट जाँच लेते, तो अच्छा रहता, क्योंकि यूपीसी की सुविधा 2011 में बंद की गई थी। 2011 में तो आप ही की सरकार थी! आपने जो काम किए, उन सबके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, आप किसी और को जिम्मेदार न ठहराएँ। वैसे ही कहा गया कि आपने स्पोर्ट्स कोटा हटा दिया। आप अपनी बात की थोड़ी तो जाँच कर लेते! आज भी स्पोर्ट्स कोटा पूरी तरह से है और उसको एकदम एफिशिएंट करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है। वैसे ही कई माननीय सदस्यों ने इंटरसेप्शन का जिक्र करते हुए, फोन कंपनी का नाम लेते हुए कहा, मैं उन सबको कहता हूँ कि आप अपने फोन्स चेक कराने के लिए सर्ट-इन को दे दें, जो भारत के बेस्ट से बेस्ट टेक्निकल एक्सपर्ट्स से जाँच कराएँगे। यदि आप कहेंगे किसी विदेशी एक्सपर्ट के पास भेजना है, तो वह भी कर देंगे, क्योंकि आपको वैसे भी अपने देश पर तो भरोसा रहता नहीं है। आपने तो हमेशा देश को नीचे दिखाने का ही काम किया।

अभी-अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह सर्विस अंग्रेजों ने unify की। कांग्रेस के माननीय सांसद श्री शक्तिसिंह गोहिल जी ने opening में कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजों ने 'भारतीय डाक' की स्थापना की थी। माननीय सभापति जी, कांग्रेस के पूरे के पूरे माइंडसेट में अंग्रेज और इनके एक परिवार से बाहर कुछ भी नहीं है। मैं एक तथ्य रखना चाहता हूँ। मैं तथ्य रखना चाहता हूँ कि भारत में पाटलिपुत्र से पर्शिया तक की डाक सेवा आज से करीब 2,000 से अधिक वर्षों पहले तक स्थापित थी। हम अपनी संस्कृति पर क्यों न गर्व करें? कांग्रेस की पूरी की पूरी जो मनोवृत्ति थी, वह सारी की सारी कोलॉनियल..

**श्री शक्तिसिंह गोहिल :** सर ...(व्यवधान)...

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, I am not yielding. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: He is not yielding. ...*(Interruptions)*... Sorry, he is not yielding. Mr. Gohil, I will not allow you. Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... शक्ति सिंह जी, आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*... Mr. Gohil, please take your seat. ...*(Interruptions)*... One minute, hon. Minister. It is most unfortunate to do this now after we saw discipline and decorum during the day. Now, every Member here should learn about compliance of rules. Maybe a particular Member or a Minister is saying something on which you seek to have a rejoinder or an intervention. Follow the rules. You can't jump from your seat. And, even this also was not acceptable. Go through the Rule Book. Study the Rule Book carefully. I have had the most painful occasion today. We had to hold one of our Members, Shri Raghav Chadha, guilty. It was a very sad occasion for the Committee, but it is our job to ensure that they follow the rules; they do not belittle this institution. I would urge all the hon. Members to carefully go through the Committee Report. It is a very well-deliberated thoughtful Committee Report. There is a provision in the rules for everyone to make a rejoinder, to make an intervention, but that can't be like this that the hon. Minister is saying something and you immediately rise on your seats. Sorry, I don't allow this. Hon. Minister, please continue.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Thank you, hon. Chairman, Sir.

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के colonial mindset के प्रति जो इनका लगाव है - चाहे वह education system हो या postal system या किसी भी तरह की सामाजिक सुविधा की जो बात है, उसमें इनका जो mindset है, उसकी बात आपके समक्ष रखना चाहता था, इसीलिए मैंने जिक्र किया कि माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी ने जो कहा था तथा अन्य एक-दो माननीय सदस्यों ने भी कहा कि अंग्रेजों ने इस postal system की स्थापना की थी, ऐसा नहीं है। इसका तथ्य है, ऐतिहासिक तौर पर प्रमाण है कि यह व्यवस्था पाटलिपुत्र से पर्शिया तक की हिन्दुस्तान में बहुत पहले से स्थापित थी और बहुत ही अच्छी तरह से भी चलती थी।

माननीय सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि postal services में recruitment नहीं किया गया है। शायद कुछ माननीय सांसद या तो तथ्य देखना नहीं चाहते या फिर वे देख कर भी उसे अनदेखा करना चाहते हैं। माननीय मोदी जी ने postal network में 1 लाख, 28 हजार लोगों को रोजगार दिया है। 660 पोस्ट ऑफिसेज़ यूपीए की सरकार के समय बन्द किये गये थे, मोदी जी ने 5,000 नये खोले हैं और 5,700 से अधिक नये खोलने के लिए मंजूर किये हैं।

महोदय, postal network को किस तरह से बढ़ाया जाए, यह मोदी जी का clear vision है। यूपीए सरकार में यह होता था कि postal services को किस तरह से बन्द किया जाए, कैसे उसको irrelevant कर दिया जाए, कैसे उसको समाप्त कर दिया जाए और आज वे दुहाई दे रहे हैं, आज शक्ति सिंह गोहिल जी PSU को privatise नहीं करने की बात कह रहे हैं। यह जो हिपोक्रेसी है, उस हिपोक्रेसी को आज भारत का जन-जन जान चुका है। भारत के जन-जन में

सरकार की सुविधाओं, सरकार के विकास के प्रति आज जो विश्वास आया है, वह विश्वास प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों, उनके काम करने के तरीके, जो मोदी जी की गारंटी है, भारत को सिर्फ उसी पर भरोसा है। आज हम सब जो परिणाम देख रहे हैं, वे इसी का नतीजा हैं कि काँग्रेस हमेशा केवल कोलोनियल माइंडसेट पर चलती रहेगी और इसी तरह चलते-चलते irrelevant हो जाएगी, बल्कि हो गई है।

मान्यवर, मैं श्री निरंजन बिशी को धन्यवाद देना चाहूँगा। श्री अयोध्या रामी रेड्डी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए और सपोर्ट किया। श्री वि. विजयसाई रेड्डी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने प्राइसिंग के बारे में कहा। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि पोस्टल सर्विसेज़ का बहुत बड़ा सोशल ऑब्लिगेशन भी है, इसीलिए पोस्टल सर्विसेज़ को इतना affordable रखा गया है। इसमें बहुत ही कम प्राइस पर सर्विसेज़ दी जाती हैं। सरकार की क्लीयर नीति है कि इसे इसी तरह से affordable रखा जाएगा। हालांकि, इसे मॉडर्नाइज़ किया जाएगा, लेकिन प्राइसिंग को हमेशा affordable रखा जाएगा। मैं श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें एडिशनल सर्विसेज़ जोड़ने का सुझाव दिया। इसके अलावा भी कई साथियों ने, कई माननीय सांसदों ने अच्छे सुझाव दिए हैं, जिनका मैं स्वागत करता हूँ। इसके अलावा, दूसरे बड़े प्वाइंट्स में श्री थंबी दुरै जी ने हेरिटेज बिल्डिंग्स के बारे में कहा था। मैं हेरिटेज बिल्डिंग के संबंध में माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूँगा। पोस्ट ऑफिसेज़ की कई ऐसी अच्छी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जिनका अच्छे से पुनरुद्धार किया जा रहा है, रेनोवेशन किया जा रहा है। हाल ही में झारसुगुड़ा, ओडिशा में रेलवे की मदद से पोस्ट ऑफिस की एक हेरिटेज बिल्डिंग को, उसका पूरा हेरिटेज कैरेक्टर मेन्टेन करके बहुत अच्छे से रेनोवेट किया गया है। इसी तरीके से लखनऊ में भी किया गया है। देश में जगह-जगह पर हेरिटेज बिल्डिंग्स का रेनोवेशन किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, अनयूज़्ड पोस्टल लैंड को लेकर सुझाव आए कि उनके लिए वेयरहाउसिंग और नई तरीके की सर्विसेज़ आएँ। इसके ऊपर भी काम चल रहा है। आज के बिल में विशेषकर इस बात का प्रावधान किया गया है कि पोस्टल सर्विसेज़ का विस्तार हो। केवल डाक और एक्सप्रेस मेल के अलावा कई तरह की और भी सर्विसेज़ आएँ। कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सांसद जी ने एक और विषय उठाया था। आपका आरोप था कि फेडरलिज्म पर प्रहार किया जा रहा है। शायद कम्युनिस्ट पार्टी को कभी भी संविधान में रुचि नहीं थी, विश्वास नहीं था। माननीय सभापति महोदय, जो संविधान की दुहाई देते हैं, वे पहले संविधान को थोड़ा पढ़ लें। काँस्टीट्यूशन के 7<sup>th</sup> शैड्यूल की लिस्ट बनी हुई है कि कौन सा विषय भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कौन-सा concurrent list का है और कौन-सा राज्य का विषय है। संविधान में यह क्लीयरली स्पेसिफाई किया हुआ है। यूनियन लिस्ट का जो आइटम 31 है, उसमें पोस्टल सर्विसेज़ को क्लीयरली रखा गया है। आपको तो वैसे ही संविधान में कोई रुचि थी ही नहीं। भले ही आज आप डेमोक्रेसी की बात करें और संविधान के ऊपर अटैक की बात करें, लेकिन जनता सब जानती है और जनता सब समझती है। जन-जन को पता है कि संविधान की रक्षा करने के लिए आज कौन सशक्त है, कौन यह कर सकता है। जो संविधान की रक्षा और डेमोक्रेसी की रक्षा का केवल एक दिखावा करते थे, उन्हें जनता ने नकार दिया है और आने वाले समय में भी नकारती रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं सभी सांसदों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस बिल को, जो हमारे कोलोनियल माइंडसेट को, उपनिवेशवादी समय की लीगेसी को समाप्त करके, आज के समय के अनुरूप बहुत मॉडर्न, वेल ड्राफ्टेड, सरल भाषा में लाया गया बिल है, इसे unanimously पास करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

5.00 P.M.

MR. CHAIRMAN: The question is:

That the Bill to consolidate and amend the law relating to Post Office in India and to provide for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

*Clauses 2 to 16 were added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN: Now, the Minister to move that the Bill be passed.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, I move:

That the Bill be passed.

*The question was put and the motion was adopted.*

---

## SPECIAL MENTIONS

MR. CHAIRMAN: Now, Special Mentions.

### **Need for promoting research into changing rainfall patterns**

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): Sir, climate change is now causing disruptive alterations in India's rainfall patterns. Regions that once experienced minimal rainfall are now facing unusual downpours, while traditionally wet